

चौथी दिनांक

हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

1986 से प्रकाशित

16 फरवरी-22 फरवरी 2015

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467



साल 2011 से अब तक बहुत कुछ बदल चुका है। यमुना का प्रदूषण स्तर काफ़ी बढ़ चुका है। देश में नई सरकार आ चुकी है। विपक्ष मृतप्राय हो चुका है। कुछ नए राजनीतिक दल भेदान में ताल ठोक रहे हैं। कुछ नए वादे किए जा रहे हैं। कुछ पुराने वादे तोड़े जा रहे हैं। देश नए गरस्ते पर जाने का प्रयास कर रहा है तो कहीं से चिंगारी भड़कने की आवाज़ भी आ रही है। इन सब के बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने गांव में बैठ कर एक बार फिर कुछ सवाल बुन रहे हैं। ये सवाल इनकी जिंदगी से जुड़े हुए हैं। इनकी रोज़ी-रोटी से जुड़े हुए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या सवालों का कोई जवाब मिलेगा? या फिर इतिहास खुद को इतनी जल्दी दोहराएगा? 2011 में भी लोगों ने तत्कालीन सरकार से कुछ सवाल पूछे थे। जवाब नहीं मिला। फिर जो हुआ, वह इतिहास के पन्नों में दर्ज है। लेकिन इतिहास दोहराने का अर्थ यह भी नहीं है कि वह उसी रूप में फिर से सामने आए। उसका नतीजा वैसा ही हो जैसा पहले था। लेकिन सवाल यह भी है कि मौजूदा राजनीतिक माहौल में, जहां विपक्ष हताश, निराश और मृतप्राय है, आखिर कोई तो हो जो सवाल उठा सके।

“



30

जनवरी को गांधीजी को याद करते हुए अना हजारे ने सबसे पहली बात यह कही कि पिछले कुछ महीनों से मैं पीठ के दर्द की वजह से लोगों में नियमित रूप से नहीं जा सका। अब मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। जनसेवा के लिए मैं फिर पहले जैसा काम करूंगा। यानी, अना अब फिर से कोई शंखनाद करने को तैयार दिख रहे हैं। अना हजारे मान रहे हैं कि नई सरकार ने अच्छे दिन लाने के बायदे तो खेड़ किए एवं लेकिन चंद पूँजीपत्रियों को छोड़ कर किसी भी वर्ष को अच्छे दिन दिखाई नहीं दे रहे हैं। अना को इस बात से तकलीफ है कि एक तफ जहां सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले वक्तव्य आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कामगार कानून में बदलाव कर मेहनत करने वालों के बुरे दिन लाए जा रहे हैं। इन दिनों अना से मिलकर देश के किसान संगठन भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन वाले अध्यादेश को लेकर बात कर रहे हैं। किसान इससे चिंतित हैं और इस कानून के विरोध में आंदोलन करना चाहते हैं और इसे विरोध करने को कह रहे हैं। अना हजारे ने इस पर कहा है कि वह अंडीनेस लोकतांत्रिक दृष्टि से कठोर ठीक नहीं है और इससे किसानों का दमन होगा। अना हजारे सरकार को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि सरकार को वक्त रखते थे बातें समझ लेनी चाहिए। वे देश के किसानों को आशवस्त करते हैं कि वे लोकपाल के साथ-साथ इस प्रश्न पर भी आंदोलन करेंगे, सभी किसान संगठनों के साथ मिलकर आंदोलन करेंगे औं किसानों के हक्क के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे। अना हजारे कहते हैं कि किसानों के लिए आंदोलन जरूर करना चाहिए, क्योंकि मैं भी एक किसान का बेटा हूं। पिछले कुछ मिलते हैं कि अना हजारे अब चुपचाप बैठ कर सब कुछ देखने के मृद में नहीं हैं। अना ने अपनी नई टीम के गठन की बात की है। अब इस नई टीम में कौन-कौन लोग शामिल होते हैं, यह देखना भी दिलचस्प होगा। अना ने देशवासियों को फिर एक बार आंदोलन के लिए तैयार रहने की अपील की है। अना हजारे ने अपने ब्लॉग में एक लेख के जरिए मोदी

इस बार कहां तक आएंगे पीवी राजगोपाल...

नए भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को लेकर एक बार परिषद के पी.वी. राजगोपाल ने एक बार फिर एक और आंदोलन यानी अपने स्टाइल में पदयात्रा की घोषणा कर दी है। राजगोपाल ने कहा है कि वे हजारों सत्याग्रहियों के साथ भू-अधिग्रहण अध्यादेश के द्विलाल 15 मार्च 2015 से पदयात्रा करते हुए आगरा से दिल्ली के लिए कूच करेंगे। राजगोपाल के मुताबिक कांस्पारेट धरानों के हित के लिए केंद्र सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुर्णस्थापन में उचित क्षतिपूर्ति के अधिकार और पारदर्शिता कानून 2013 में लाए गए संशोधनों का एकता परिषद विरोध कर रही है। एकता परिषद के मुताबिक यह अध्यादेश अन्यायपूर्ण व इसका विरोधी है। 2012 में हुए भूमि सुधार समझौते को लागू करने एवं संशोधन बिल 2014 को रद्द करने की मांग की गई है। मांग पूरी नहीं होने पर हजारों की संख्या में पुनः आदिवासी भूमिहीन दिल्ली के लिए पदयात्रा शुरू करने वाले हैं।



एकता परिषद के मुताबिक भारतीय संविधान में अनु. 39बी में प्राकृतिक संपदाओं पर नागरिकों के बुनियादी अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए जो प्रावधान हैं, यह अध्यादेश इन प्रावधानों को खारिज करता है। कोई भी निवाचित सरकार न्यायोचित ढंग से ऐसा कृत्य नहीं कर सकती है। ऐसा अध्यादेश केवल विशेष परिस्थिति में या आपातकालीन स्थिति में ही जारी होता है। सरकार ने न तो संसद में और न जनता के सामने ऐसा कोई कारण दर्शाया है, तो फिर ऐसे अध्यादेश की जरूरत क्यों पड़ी? यह सच्चाई देश की जनता के सामने लाना जरूरी है। लेकिन सरकार बड़ा सवाल है कि इस पदयात्रा का नतीजा क्या निकलेगा? इससे पहले भी पीवी राजगोपाल कई यात्राएं और बूके हैं। पीवी राजगोपाल वर्ष-2007 में भी 25 हजार आविवासियों और किसानों को लेकर गुलाली तक पैदल आ गए। लेकिन दिल्ली से पहले ही हरियाणा के पलवल/फरीदाबाद में तत्कालीन आमीन दिल्ली मंडी खर्चा प्रसाद सिंह वहां पहुंच गए। तब खुबंश प्रसाद सिंह ने एक सुचारू भूमि वितरण प्रणाली विकसित करने व लोगों को जमीनों का अधिकार देने की मांग को मंजूर किया था। जनसत्याग्रह आंदोलन 2012 के बदले भी उनकी यह आपाती बीच में ही रुक गई थी। केंद्र सरकार ने आगरा में रोक कर वारां की थी। तब सरकार के प्रतिनिधि तत्कालीन आमीन विकास मंत्री जयराम रमेश तथा जनसत्याग्रह 2012 के लीडर पीवी राजगोपाल के बीच देश में भूमि सुधार को लेकर 10 सूत्रीय समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत जो काम होने थे वे नहीं हुए।

सरकार पर भी निशाना साधा है। मोदी सरकार द्वारा लागू किए गए भूमि अधिग्रहण कानून के प्रावधानों को आग्राहित करने के लिए विरोधी करार की गयी है। अना ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि इस कानून का मकसद कृषि योग्य भूमि को उद्योगपतियों के हवाले करना है। अना ने सबाल उठाया कि भूमि अधिग्रहण कानून से किसका भला होने वाला है? उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के ग्राम सभा के अधिकारों को कम करके लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया है। अना ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि आजादी के 68 साल बाद भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है।

अनना हजारे ने अपने ब्लॉग में एक लेख के जरिए मोदी सरकार पर भी निशाना साधा है। मोदी सरकार द्वारा लागू किए गए भूमि अधिग्रहण कानून के प्रावधानों को अग्राहित करने के लिए विरोधी करार को अनना हजारे ने किसानों के लिए विरोधी करार किया है। अनना ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि इस कानून का नक्शा द्वारा करने वाले को अपातकालीन आदिवासी भूमिहीन दिल्ली के हवाले करना है।

नए भूमि अधिग्रहण कानून से किसानों की आत्महत्याएं बढ़ने की आशंका है। विकास के नाम पर मोदी सरकार किसानों के साथ धोखा कर रही है। उन्होंने लिखा है कि भूमि अधिग्रहण कानून में से किसानों की राज्यांत्रिकी की शर्त हटाना गलत है। सरकार लोकतंत्र कर नज़रअंदाज कर ममतार्जी से फैलाले ले रही है। पुराने कानून को सही बताते हुए अना ने ब्लॉग में लिखा है कि इसमें यह प्रावधान था कि अधिग्रहण भूमि पर आगरा पांच साल में विकास कार्य नहीं हुआ तो वह जमीन किसानों को वापस भिल जाती थी, पर सरकार ने यह शर्त हटाकर किसान से जमीन की उद्योगपतियों के हवाले करना है।

(शेष पृष्ठ 2 पर)



वक्फ संपत्तियों पर खाते के बादल पेज-03



कितनी कारगर होगी, नई शिक्षा नीति पेज-04



क्या सुधर पाएगी बदहाल स्वास्थ्य सेवा पेज-06



साई की महिमा पेज-12



वक्फ बोर्ड की स्थापना के बाद वक्फ संपत्तियों, विशेषकर उन धार्मिक स्थलों की वापसी की मांग जोए पकड़ने लगी, जो अधिग्रहण होने के बावजूद बोर्ड की देखभाल एवं निगरानी या मुसलमानों के इस्तेमाल में थीं। तब 1970 के दशक में केंद्र सरकार ने एक जांच कमेटी बना दी, जिसकी रिपोर्ट सैयद मुजफ्फर हुसैन बर्नी के नेतृत्व में तैयार हुई, जिसे बर्नी रिपोर्ट भी कहते हैं। इस कमेटी ने ऐसी 250 संपत्तियां चिन्हित कीं, जो वक्फ की थीं। इस रिपोर्ट पर अमल करने के लिए मीर नसीरुल्लाह के नेतृत्व में एक और कमेटी गठित की गई, जिसने इन 250 संपत्तियों में से 123 ऐसी संपत्तियों का खूलासा किया, जिन्हें वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर किया जा सकता था।

इस्लाम के प्रावधान के अनुसार, जब कोई संपत्ति जनकल्याण के लिए विशेष रूप से दान की जाती है, तो उसे वक्फ संपत्ति कहा जाता है. ऐसी संपत्तियां महान उद्देश्य के लिए वक्फ की जाती हैं, लेकिन विडंबना यह है कि इनका राजनीतिक और अन्य स्वार्थों के लिए बड़े पैमाने पर दुरुपयोग होता है. इसका सबसे बड़ा उदाहरण मुंबई में मस्जिद व यतीम खाना की वक्फ संपत्ति को प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी के हाथों बेचा जाना है. इस पर आँल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी चुप्पी साधी है, बल्कि उसके वरिष्ठ सदस्य एवं क़ानूनी सलाहकार यूसुफ हातिम मुछाला उसमें शरीक भी हैं. जहां तक दिल्ली की 123 वक्फ संपत्तियों का सवाल है, वे भी राजनीतिक और क़ानूनी पेचीदगियों में पिछले सौ वर्षों से उलझी हुई हैं. आइए देखते हैं कि दिल्ली की इन वक्फ संपत्तियों का मामला क्या है...

ए यू आसिफ

मैं ने माना कि कुछ नहीं गलिब
मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है...

भारत की छह लाख एकड़ भूमि पर फैली हुई 4.9 लाख रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियों में से अधिकतर की स्थिति दयनीय है। स्वार्थी तत्वों की नज़र हमेशा से इन पर रही है और आज भी है, क्या सरकारी और क्या गैर सरकारी। हद तो यह है कि संपत्ति दान करने वाले की मंशा के विरुद्ध इन पर नाजायज कब्जे हैं और ऐसा महसूस होता है कि हर एक व्यक्ति बकौल मिर्जा गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है...पर अमल कर रहा है। आश्चर्य की बात तो यह है कि मुसलमान, उनके कुछ संगठन और संस्थान भी अवैध कब्जेदारों की सूची से बाहर नहीं हैं। दिल्ली की 123 वक्फ संपत्तियां, जो पूर्ववर्ती मनमोहन सिंह सरकार द्वारा डी-नोटिफिकेशन के निर्णय के अनुसार दिल्ली वक्फ बोर्ड के अधीन प्राप्त: एक वर्ष पूर्व आ चुकी हैं, का भी कमोबेश यही हश्र हो रहा है।

यही वजह है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड की वर्तमान अध्यक्ष राणा परवीन सिंहीकी को सारे जहां से नाराज़गी और शिकायत है। उन्हें शिकायत सरकार, प्रशासन, मुसलमानों एवं उनके कुछ संगठनों से भी है। उन्हें इस बात की शिकायत है कि इन 123 वक्फ संपत्तियों में से आईटीओ स्थित मस्जिद अब्दुन नबी एवं मस्जिद गौसियान उर्फ झील के प्याऊ पर जमीयतुल उलमा हिंद के दोनों धड़े उसके आसपास की भूमि समेत काबिज हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष सिंहीकी, जो प्रसिद्ध वकील भी हैं, का कहना है कि 123 वक्फ संपत्तियों को बोर्ड को ट्रांसफर करने के संबंध में दो मार्च, 2014 के मनमोहन सिंह सरकार के निर्णय पर नंदेंद्र मोदी सरकार द्वारा जांच शुरू कराना समझ से परे है। उनका कहना है कि ये तमाम संपत्तियां दान की हुई हैं, इसलिए 104 वर्ष के बाद उनकी वापसी पर जांच की आविष्कार आवश्यकता क्यों आ पड़ी। उन्होंने बताया कि विश्व हिंदू परिषद ने 22 मई, 2014 को दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसके बाद केंद्र सरकार ने अब जांच शुरू की है। वह कहती है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड भी अपना पक्ष न्यायालय के सामने जल्द ही पेश करेगा।

जल्द ही पैश करगा। इस विवाद का विश्लेषण करते समय यह समझना आवश्यक है कि दिल्ली की 123 वक्फ संपत्तियां आखिर हैं क्या। गौरतलब है कि ब्रिटिश सरकार ने 1911-15 में कोलकाता से हटकर दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाते समय यहां के विभिन्न स्थानों पर भूमि अधिग्रहण किया था, जिनमें बहुत-सी भूमि मस्जिदों, दरगाहों, कब्रिस्तानों एवं अन्य वक्फ की भी थीं, जिन्हें बिना अलग किए हुए सरकार के अधीन कर लिया गया। इसके विरुद्ध मुकदमे भी किए गए। यही कारण है कि दिल्ली मजलिस औकाफ, जिसका उत्तराधिकारी दिल्ली वक्फ बोर्ड है, ने औकाफ की भूमि का मुआवज़ा लेने से इंकार कर दिया था। देश आज़ाद होने के बाद तक उक्त मकदमे विभिन्न अदालतों में लटके रहे।

क बाद तक उक्त मुकदम विभाग अदालतों में लटक रहे। वक्फ बोर्ड की स्थापना के बाद वक्फ संपत्तियों, विशेषकर उन धार्मिक स्थलों की वापसी की मांग जोर पकड़ने लगी, जो अधिग्रहण होने के बावजूद बोर्ड की देखभाल एवं निगरानी या मुसलमानों के इस्तेमाल में थीं। तब 1970 के दशक में केंद्र सरकार ने एक जांच कमेटी बना दी, जिसकी रिपोर्ट सैयद मुजफ्फर हुसैन बर्नी के नेतृत्व में तैयार हुई, जिसे बर्नी रिपोर्ट भी कहते हैं। इस कमेटी ने ऐसी 250

संपत्तियां चिन्हित कीं, जो वक्फ की थीं। इस रिपोर्ट पर अमल करने के लिए मीर नसीरुल्लाह के नेतृत्व में एक और कमेटी गठित की गई, जिसने इन 250 संपत्तियों में से 123 ऐसी संपत्तियों का खुलासा किया, जिन्हें वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर किया जा सकता था। सरकार ने 1984 की शुरुआत में निर्णय लिया कि इन 123 संपत्तियों का मालिकाना हक्क दिल्ली वक्फ बोर्ड को वापस कर दिया जाए। इस संबंध में 27 मार्च, 1984 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं। सेंट्रल वक्फ काउंसिल के पूर्व स्क्रेटरी डॉ. मोहम्मद रिजवानुल हक्क कहते हैं कि उस समय दो गलत घटनाएँ हुईं। नोटिफिकेशन प्रकाशित होने से दो दिनों पहले यह बात मीडिया तक पहुंच गई, जिसके कारण एक दिन पहले यह खबर इस तरह प्रकाशित की गई कि सरकार इन संपत्तियों को एक रुपये वार्षिक प्रति एकड़ की दर से लीज पर दे रही है। दूसरी घटना यह हुई कि नोटिफिकेशन में इन संपत्तियों को वक्फ संपत्ति के तौर पर दिल्ली वक्फ बोर्ड को सौंपने के बजाय एक रुपये वार्षिक प्रति एकड़ की दर से उसी बोर्ड को लीज पर देने की बात कही गई, जो पूर्ण रूप से सही नहीं थी, बल्कि सरकार के निर्णय एवं मंशा के विरुद्ध भी थी। उस समय मोहसिना किदवर्डी संबंधित मंत्रालय की मंत्री थीं।

इन दोनों घटनाओं का प्रभाव यह पड़ा कि रातोंरात एक संगठन इंद्रप्रस्थ हिंदू महासभा के नाम से अस्तित्व में आ गया और उसने नोटिफिकेशन जारी होते ही दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी और उस पर स्थगनादेश ले लिया. यह स्थगनादेश 27 वर्षों तक कायम रहा. डॉ. रिजवानुल हक्क, जो उस समय सेंट्रल वक्फ काउंसिल के सचिव थे, ने चौथी दुनिया को बताया कि उस समय सेंट्रल वक्फ काउंसिल के आग्रह पर सात अप्रैल, 2008 को केंद्रीय मंत्री जयपाल रेड़ी के चैंबर में एक बैठक बुलाई गई, जिसमें वह स्वयं भी मौजूद थे. मंत्री जी ने कहा कि इस संबंध में ज़रूरी फैसले ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स द्वारा ही लिए जा सकते हैं. इस तरह केंद्र सरकार इस मसले पर टाल-मटोल करती रही. तब दिल्ली हाईकोर्ट ने 12 जनवरी, 2011 को 123 वक्फ संघर्षियों से संबंधित इंद्रप्रस्थ हिंदू महासभा की याचिका सी-1512/1984 खारिज कर दी और सरकार को निर्देश दिया कि वह इस संबंध में छह माह के अंदर अंतिम फैसला करे. लेकिन सरकार समय पर समय लेती रही.

बहरहाल, इस संबंध में मनमोहन सिंह सरकार ने दो मार्च, 2014 को अंतिम निर्णय लेते हुए इन 123 वक्फ संपत्तियों को डी-नोटिफाई किया और दिल्ली वक्फ बोर्ड को दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देशानुसार ट्रांसफर कर दिया। तब विश्व हिंदू परिषद ने 22 मई, 2014 को याचिका दायर की और कहा कि उक्त संपत्तियों का दिल्ली वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर भूमि अधिग्रहण कानून के सेक्षण 48 का उल्लंघन है। विश्व हिंदू परिषद का दावा था कि संपत्तियां, जो सरकार द्वारा अधिग्रहण करके कबज्जे में ली गई हैं, को न डी-नोटिफाई किया जा सकता है और न उन्हें अधिग्रहण से आज्ञाद किया जा सकता है। इस संबंध में वर्तमान शहरी विकास मंत्री एम वैकेया नायडू का कहना है कि उन्हें पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद के विरुद्ध एक रिप्रेंटेशन मिला है, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि वह इन संपत्तियों के ट्रांसफर में सबसे आगे थे। शहरी विकास मंत्रालय की राय है कि उस वक्त पूरा निर्णय जल्दवाजी में लिया गया, इसलिए मंत्रालय ने कानून मंत्रालय से इस संबंध में लिखित राय मांगी है।

ज्ञात रहे कि गत वर्ष डी-नोटिफिकेशन के समय इन 123

वक्फ संपत्तियों में 61 लैंड एवं डेवलपमेंट ऑफिस, जबकि



**वक्फ संपत्तियों से
खिलवाड़ बंद हो**

विं श्व हिंदू परिषद द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका को लेकर विभिन्न पक्षों की बैठक बुलाने का निर्देश न्यायालय ने दिया है। इस निर्देश पर अमल करने से पूर्व मोदी सरकार ने यह जांच शुरू कर दी है कि मनमोहन सिंह की सरकार ने जाने से पहले दिल्ली वक़्फ बोर्ड को 123 संपत्तियां सौंपने का जो निर्णय लिया था, कहीं वह गैर कानूनी तो नहीं है।

इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ऑल इंडिया मिली काउंसिल के महासचिव डॉ. मोहम्मद मंजूर आलम कहते हैं कि सरकार को इस मामले में राजनीति के बजाय अदालती निर्देश पर अमल करना चाहिए, वरना वक्फ के महान उद्देश्य के साथ खिलवाड़ होगा और न्यायालय की अवमानना भी। उनका मानना है कि इस तरह की राजनीति के जरिये 103 वर्षों के बाद सुलझा मामला एक बार किर से उलझाया जा रहा है। मरकजी जमीअत अलेहदिस हिंद के महासचिव मौलाना असगर अली इमाम मेहंदी सलफी मदनी का कहना है कि वक्फ के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए, व्योकि उससे इसका उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। जमाअत इस्लामी हिंद के महासचिव मौलाना नुसरत अली कहते हैं कि जब पूर्व केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देशानुसार निर्णय लिया था, तो किर किसी विवाद की आवश्यकता ही नहीं थी। उनका कहना है कि यह समस्या बहुत ही संवेदनशील है, इसलिए सरकार न्यायालय के निर्देशानुसार ही इसे सुलझाए। बिहार राज्य के पूर्व मुख्य सचिव डॉ. एम इब्राहिमी, जिनकी आईएएस अधिकारी के तौर पर वक्फ की समस्या पर गहरी नजर रही है, कहते हैं कि यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है, व्योकि इसका संबंध जनकल्याण से है। इब्राहिमी ने चौथी दुनिया से बात करते हुए कहा कि यही कारण है कि उन्होंने इस संबंध में अपने व्यवहारिक तजुर्बे माई एक्सपीरियंस इन गवर्नेंस में बताए हैं। उनका साफ़ तौर पर कहना है कि 123 वक्फ संपत्तियों का मामला अदालत पर छोड़ देना चाहिए। 2011 में दिल्ली हाईकोर्ट ने इन्द्रप्रस्थ हिंदू महासभा की 1984 की याचिका भलीभांति निपटाई। इसलिए उम्मीद है कि 2014 में विश्व हिंदू परिषद द्वारा दायर याचिका भी अदालत उसी तरह निपटाएंगी, तभी इस मामले में इंसाफ़ हो पाएगा। ■

पै गंबर मोहम्मद के कथित हृदीस में वक्फ की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि मूल को इस तरह छेँटार में दो कि वह न बेची जा सके, न उसे उपहार में दिया जा सके और न उसमें विरासत का सिलसिला जारी हो, बल्कि उसके फायदे आम लोगों को मिलें। उत्तर हृदीस के अनुसार, पूरे संसार में मुसलमानों में वक्फ करने का सिलसिला जारी है और यह जनकल्याण का एक लाभदायक एवं प्रभावकारी साधन बना हुआ है। जहां तक भारत का मामला है, 17 नवंबर, 2006 को मनमोहन सिंह सरकार को सौंपी गई सच्चर रिपोर्ट के अनुसार, देश भर में ४७ लाख एकड़ भूमि पर 4.9 लाख रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियां हैं, जिनकी कीमत पिछले वर्ष ४३ हजार करोड़ रुपये आंकी गई थी और उनसे सालाना आमदनी कम से कम 163 करोड़ रुपये बताई गई थी। इसी रिपोर्ट में दिल्ली की 318 वक्फ संपत्तियों की सूची भी प्रकाशित की गई है और उन पर तमाम कल्जों को गैर क़ानूनी बताया गया है। इन्हीं में इस समय विवादास्पद दिल्ली की 123 वक्फ संपत्तियां भी शामिल हैं। ■

बाकी 22 दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधीन थीं। इनमें से कुछ तो सरकार के इस्तेमाल में थीं, तो कुछ अन्य मुस्लिम संगठनों एवं व्यक्तियों के कब्जे में थीं। इन वक्फ संपत्तियों में से अधिकतर कनाट प्लेस, मथुरा रोड, लोदी रोड, मान सिंह रोड, पंडारा रोड, अशोक रोड, जनपथ, संसद भवन, करोल बाग, सदर बाज़ार, आज़ाद मार्केट, दरियांगंज, आईटीओ एवं जंगपुरा में स्थित हैं। प्रत्येक वक्फ भूमि से मस्जिद सटी हुई है, जबकि कुछ संपत्तियों में दुकानें एवं आवासीय भवन भी हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इन 123 वक्फ संपत्तियों पर एक बार फिर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। पिछली बार हिंदू महासभा ने 1984 में सरकार के नोटिफिकेशन पर स्थगनादेश ले लिया था, लेकिन 24 वर्षों के बाद 2008 में दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान विचार व्यक्त करते हुए कहा कि अगर सरकार इन संपत्तियों को वक्फ संपत्ति मानती है, तो उसे इन्हें दिल्ली वक्फ बोर्ड को सौंप देना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने 12 जनवरी, 2011 को यह याचिका खारिज भी कर दी और सरकार को कोई अंतिम निर्णय लेने के लिए निर्देशित किया। अब देखना यह है कि मार्च 2014 के अंतिम निर्णय को विश्व हिंदू परिषद की याचिका से जो चुनौती मिली है, उसका क्या होता है और अदालत इस संबंध में क्या निर्णय लेती है और इसी के साथ-साथ वर्तमान सरकार का रुख भी क्या होता है? ■



EDUCATE ENCOURAGE ENLIGHTEN
नई शिक्षा नीति करे साकार,
ज्ञान योग्यता और रोजगार।

अब अगर हम मोदी सरकार की नई शिक्षा नीति से संबंधित वर्तमान पहल की तुलना 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति से करें, तो इसमें अधिकतर विषय तो पुराने ही हैं। हालांकि, इन विषयों को वर्तमान परिस्थितियों के तहत विस्तृत करने की कोशिश की गई है। उदाहरण के तौर पर, शिक्षा का अधिकार क्रान्ति लागू होने के बाद अब देश भर के सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों पर अधिक से अधिक बच्चों को प्रवेश देने का दबाव पड़ने लगा है। इसी के मद्देनज़र मोदी सरकार ने लोगों से राय मांगी है कि कैसे इस समस्या को बेहतर ढंग से हल किया जाए।

कितनी कारगर होगी, नई शिक्षा नीति

कमर तबरेज़

जरद्र मादा के नतृत्व वाला केंद्र सरकार 29 वर्षों के बाद देश में एक नई शिक्षा नीति बनाने जा रही है, जिसके लिए उसने देश-विदेश के विद्यानां, शिक्षाविदों, व्यापारियों एवं आम नागरिकों से इस क्षेत्र के 33 विभिन्न विषयों के तहत सुझाव आमंत्रित किए हैं। उक्त सभी 33 विषयों की सूची केंद्र सरकार की वेबसाइट पर बीती 25 जनवरी को अपलोड की गई है, ताकि लोग सरकार को प्रत्यक्ष रूप से अपने सुझाव एवं प्रस्ताव भेज सकें। सरकार सभी सुझावों एवं प्रस्तावों को इसी वर्ष जून में राष्ट्रीय शिक्षा समिति के सामने रखेगी। इसके बाद समिति उक्त सभी सुझावों एवं प्रस्तावों की रैशनी में एक नई शिक्षा नीति बनाएगी, जिसे आने वाले दिनों में देश भर में लागू किया जाएगा। फिलहाल पूरे भारत में राजीव गांधी सरकार द्वारा 1986 में बनाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू है, जिसमें 1992 में थोड़ा-बहुत संशोधन किया गया था। इससे पूर्व स्वतंत्र भारत में पहली बार 1968 में इंदिरा गांधी सरकार ने पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई थी। नई शिक्षा नीति से संबंधित मोदी सरकार की इस पहल पर बात करने से पहले आइए देखते हैं कि स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश राज में भारत में शिक्षा की क्या स्थिति थी।

हम सभी यह जानते हैं कि अंग्रेज भारत में एक व्यापारी के रूप में आए थे। उस समय भारत में मुगलों का शासन था। मुगलों से ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत व्यापार करने की मंजूरी हासिल करने बाद अंग्रेजों ने पूरे देश भर में अपनी व्यापारिक गतिविधियां शुरू कर दीं, लेकिन कुछ दिनों बाद वे इतने शक्तिशाली हो गए कि उन्होंने मुगलों को शिकस्त देने के बाद भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। शुरुआत में अंग्रेजों ने भारतीय शिक्षा में कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई। अंग्रेजों द्वारा 1792 में बनारस में संस्कृत कॉलेज और 1781 में कलकत्ता मदरसा इसलिए स्थापित किया गया, ताकि इन दोनों जगहों से हिंदुओं एवं मुसलमानों के धार्मिक कानूनों के विशेषज्ञ तैयार किए जा सकें, जो अदालती कार्यवाही में अंग्रेजी हृकूमत की मदद कर सकें। लेकिन, समय जैसे-जैसे आगे बढ़ता गया, ईस्ट इंडिया कंपनी पर ईसाई मिशनरियों और कुछ भारतीयों की ओर से आधुनिक शिक्षा विकसित करने के लिए दबाव बढ़ने लगा। आखिरकार ईस्ट इंडिया कंपनी 1813 के चार्टर एक्ट के रूप में भारतीयों की शिक्षा के लिए पहला कानून लेकर आई। इस कानून के तहत पहली बार भारत में मॉर्डन साइंस के विकास और उच्च शिक्षा के शौकीन भारतीयों का साहस बढ़ाने के लिए वार्षिक एक लाख रुपये खर्च करने का निर्णय लिया गया, लेकिन कुछ दिनों बाद ही अंग्रेज सरकार के सामने दो बड़े सवाल खड़े हो गए।

पहला सवाल यह था कि क्या भारतीयों को पश्चिमी शिक्षा दी जाए या फिर पारंपरिक भारतीय शिक्षा आगे बढ़ाई जाए? दूसरा सवाल यह था कि उन्हें यह शिक्षा भारतीय भाषाओं में ही दी जाए या फिर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया जाए? इन दोनों सवालों का जवाब 1835 में उस समय मिला, जब थॉमस बैबिंगटन मैकाले ने भारतीयों की शिक्षा से संबंधित 36 बिंदुओं पर आधारित अपना एक प्रस्ताव तत्कालीन गवर्नर जनरल विलियम बैंटिक के सामने रखा. मैकाले ने उस प्रस्ताव में न केवल अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने पर बल दिया, बल्कि भारतीयों को आधुनिक विज्ञान पढ़ाने की भी भरपूर वकालत की, लेकिन उस प्रस्ताव की सबसे बड़ी कमी यह थी कि उसमें आम भारतीयों की शिक्षा पर विलुप्त भी ध्यान नहीं दिया गया था। इसके उलट अंग्रेज भारतीयों में से कुछ ऐसे लोग तैयार करना चाहते थे, जो देखने में तो भारतीय लगें, लेकिन उनकी सोच और जीवनशैली अंग्रेजों जैसी हो. यही नहीं, अंग्रेजों ने उन भारतीयों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने का निर्णय लिया, जिन्होंने अंग्रेजी माध्यम स्कूलों एवं कॉलेजों से अपनी शिक्षा पूरी की हो। अंग्रेजों के ही ज़माने में इस कमी को उस समय दूर किया गया, जब 1854 में सर चॉल्स बुड ने एक नया शिक्षा स्वरूप पेश किया, जो बुइस डिसेच के नाम से मशहूर है। इसमें न केवल आम भारतीयों की शिक्षा पर ज़ोर दिया गया, बल्कि लड़कियों की शिक्षा, स्थानीय भाषा का सुधार एवं विकास और धर्म निरपेक्षता पर आधारित शिक्षा पर बल दिया गया। स्वतंत्रता के बाद जब इंदिरा गांधी के शासनकाल में 1968 में पहली गणीय शिक्षा नीति बनाई गई, तो उसमें



वे 33 विषय, जिन पर सुझाव मांगे गए हैं

- माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच का विस्तार.
 - उच्च शिक्षा को समाज से जोड़ना.
 - उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कौशल विकास
 - राज्य लोक विश्वविद्यालयों में सुधार.
 - गति निश्चय करने में केंद्रीय संस्थानों की भूमिका
 - समावेशी शिक्षा को सक्षम बनाना. लड़कियों, अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों और विशेष ज़रूरतों के साथ बच्चों की शिक्षा.
 - प्रौढ़ शिक्षा और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा प्रणाली के माध्यम से महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों पर विशेष ध्यान देने के साथ ग्रामीण साक्षरता में तेजी.
 - स्कूल परीक्षा प्रणाली में सुधार.
 - स्कूल के मानकों, स्कूल मूल्यांकन और स्कूल प्रबंधन प्रणाली में सुधार.
 - नया ज्ञान.
 - अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना.
 - रोजगार को शिक्षा से जोड़ने के लिए उद्योगों के साथ तालमेल.
 - उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय प्रबंधन.
 - भाषा के माध्यम से सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देना.
 - सबसे अच्छे शिक्षक तैयार करना.
 - क्षेत्रीय असमानता को दूर करना.
 - संस्थाओं की रैंकिंग और प्रत्यायन
 - नए ज्ञान, शिक्षण और स्कूलों में छात्रों को विज्ञान, गणित एवं प्रौद्योगिकी की शिक्षा देने के लिए बेहतर प्रणाली.
 - व्यवसायिक शिक्षा को सुडूढ़ बनाना.
 - प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सुधार सुनिश्चित करना.
 - उच्च शिक्षा का अंतरराष्ट्रीयकरण.
 - निजी क्षेत्र के साथ सार्थक साझेदारी.
 - लैंगिक और सामाजिक असमानता को पाटना.
 - नियमन की गुणवत्ता में सुधार.
 - व्यापक शिक्षा-नैतिकता, शारीरिक शिक्षा, कला एवं शिल्प, जीवन कौशल.
 - स्कूल और वयस्क शिक्षा के क्षेत्र में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्रणालियों का प्रयोग.
 - प्रौद्योगिकी सक्षमता हासिल करने के लिए अवसर.
 - बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान.
 - भाषाओं का विकास.
 - शिक्षकों की गुणवत्ता के लिए शिक्षक शिक्षा सुधार.
 - मुक्त, दूरस्थ शिक्षा और ऑनलाइन पाठ्यक्रम को बढ़ावा देना.
 - गुणवत्ता के लिए प्रशासन में सुधार.



संविधान की धारा 45 को महेनजर रखते हुए देश के 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे के लिए निःशुल्क और अनिवार्य मूल शिक्षा सुनिश्चित की गई। इसके अलावा अध्यापकों की बेहतर शिक्षा, प्रशिक्षण, हिंदी-अंग्रेजी के साथ-साथ अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के विकास, सबको शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराने, विज्ञान की शिक्षा में शोध के साथ-साथ कृषि एवं व्यवसायिक शिक्षा पर भी बल दिया गया। इस नई शिक्षा नीति के तहत देश भर में 1023 शिक्षा व्यवस्थाएँ भी लागू की गईं। इससे पहले 1961 में नेशनल कार्डिनेशन फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (एनसीईआरटी) स्थापित कर उसे पहली से बारहवीं कक्षा तक के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तकें तैयार करने की ज़िम्मेदारी जवाहर लाल नेहरू के शासनकाल में दी जा चुकी थी, जो कि कमोबेश अब तक यह ज़िम्मेदारी निभा रही है। इसके बाद राजीव गांधी के शासनकाल में 1986 में दूसरी बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई। इसके तहत शिक्षा तक सभी वर्गों की पहुंच प्राप्त सबसे अधिक ज़ोर दिया गया, विशेष रूप से महिलाओं एवं अनुपूर्चित जाति-जनजाति के लोगों की शिक्षा पर। इसके अलावा 1992 में एक नया संशोधन करके इंजीनियरिंग कोर्स में प्रवेश के लिए पहली बार तीन परीक्षाओं की शुरुआत की गई, ज्वाइंट इंटर्न्स एजामिनेशन (जेर्डीई) एवं ऑल इंडिया इंजीनियरिंग इंटर्न्स एजामिनेशन (एआईईडीई) गण्डीय स्तर पर और स्टेट लेवल हंजीनियरिंग इंटर्न्स

राष्ट्रीय स्तर पर आर स्टट लवल इजानयारग इटन्स एजामिनेशन (एसएलईडी) राज्य स्तर पर.

अब अगर हम मोदी सरकार की नई शिक्षा नीति से संबंधित वर्तमान पहल की तुलना 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति से करें, तो इसमें अधिकतर विषय तो पुराने ही हैं हालांकि, इन विषयों को वर्तमान परिस्थितियों के तहत विस्तृत करने की कोशिश की गई है। उदाहरण के तौर पर, शिखा एवं अधिकार समाज व्यवस्था दोनों के बारे में अधिक ध्येय भूमिका देनी चाही

स्वतंत्रता के बाद जब इंदिरा गांधी के शासनकाल में 1968 में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई, तो उसमें संविधान की धारा 45 को महेनजर रखते हुए देश के 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य मूल शिक्षा सुनिश्चित की गई। इसके अलावा अध्यापकों की बेहतर शिक्षा, प्रशिक्षण, हिंदी-अंग्रेजी के साथ-साथ अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के विकास, सबको शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराने, विज्ञान की शिक्षा में शोध के साथ-साथ कृषि एवं व्यवसायिक शिक्षा पर भी बल दिया गया। इस नई शिक्षा नीति के तहत देश भर में 1023 शिक्षा व्यवस्थाएं भी लागू की गईं। इससे पहले 1961 में नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (एनसीईआरटी) स्थापित कर उसे पहली से बारहवीं कक्षा तक के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तकें तैयार करने की जिम्मेदारी जवाहर लाल नेहरू के शासनकाल में दी जा चुकी थी, जो कि कमोबेश अब तक यह जिम्मेदारी निभा रही है।

के सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों पर अधिक से अधिक बच्चों को प्रवेश देने का दबाव पड़ने लगा है। इसी के मद्देनज़र मोटी सरकार ने लोगों से राय मांगी है कि कैसे इस समस्या को बेहतर ढंग से हल किया जाए। इसी तरह देश में दूसरी समस्या यह है कि लोग शिक्षा तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उनके अंदर ऐसा कोई हुनर नहीं होता, जिसकी बुनियाद पर वे किसी उद्योग में नौकरी हासिल कर सकें। इसके लिए मोटी सरकार शुरू से ही हुनरमंदी के विकास (स्किल डेवलपमेंट) पर ज़ोर दे रही है। शिक्षा के क्षेत्र में भी उसकी कोशिश है कि उच्च शिक्षा ग्रहण करने के दौरान ही अगर छात्रों को स्किल डेवलपमेंट से जोड़ दिया जाए, तो वे शिक्षा हासिल करने के बाद अच्छी नौकरियां पा सकेंगे और इस प्रकार बेरोज़गारी की समस्या हल की जा सकती है। इसके लिए उद्योग और शिक्षा के बीच तालमेल बनाने और पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल अपनाने की भी कोशिश की जा रही है।

इसके पीछे दलील यह है कि हायर एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए सरकारी मदद के साथ-साथ निजी क्षेत्र के सहयोग की भी आवश्यकता है, तभी सकारात्मक परिणाम आएंगे। इसके अलावा नई शिक्षा नीति में पहली बार नई शिक्षा प्राप्त करने पर भी ज़ोर दिया गया है। इसके तहत सरकार का यह प्रयास रहेगा कि पूरी दुनिया में नई-नई तकनीकों के आविष्कार के चलते शिक्षा के जो नए-नए माध्यम सामने आ रहे हैं, उन्हें चिह्नित करके भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों में भी उन पर आधारित विभाग बनाए जाएं, ताकि भारत के साथ-साथ पूरी दुनिया की इन तकनीकों से संबंधित आवश्यकताएं पूरी की जा सकें। इसके साथ ही भारत सरकार की पिछले कई वर्षों से एक चिंता यह भी रही है कि भारतीय विश्वविद्यालय वर्ल्ड रैंकिंग में अपना स्थान नहीं बना पाते। लिहाजा, मोटी सरकार ने लोगों से यह राय भी मांगी है कि सरकार ऐसे कौन-से कदम उठाए, जिनसे भारतीय विश्वविद्यालयों को वर्ल्ड रैंकिंग में उच्च स्थान प्राप्त हो सके। इसके अलावा मोटी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन अध्यापक भी तैयार करना चाहती है, जो पूरी दुनिया में जाकर अपनी सेवाएं दे सकें और भारत के विश्वविद्यालयों को वर्ल्ड टीचर

बनने का सपना साकार कर सकें। अध्यापकों की बेहतर शिक्षा एवं प्रशिक्षण पर 1968 और उसके बाद 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी ज़ोर दिया गया था। अब इसमें विविधगुरु शब्द का इज़ाफ़ा करके देश में बड़ी संख्या में ऐसे अध्यापक तैयार करने की कोशिश की जा रही है, जो न केवल देश के स्कूलों में अध्यापकों की कमी को पूरा कर सकें, बल्कि वे गणित एवं विज्ञान भी वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार पढ़ा सकें और ऐसे छात्र तैयार कर सकें, जो आगे चलकर गणित एवं विज्ञान के क्षेत्र में नए शोध आगे बढ़ाएं। अब देखना यह है कि सरकार कब तक इस नई शिक्षा नीति को अंतिम रूप देती है और उसने इसके लिए जो स्वरूप पेश किया है, वह कब तक व्यवहारिक रूप धारण कर पाता है। 29 वर्षों के बाद देश में शैक्षणिक ढांचा बेहतर बनाने की यह कोशिश इसलिए भी सराहनीय है, क्योंकि पुरानी शिक्षा व्यवस्था पर कायम रहते हुए हम भारत को विकासशील देशों की सूची में शामिल नहीं करा सकते। दुनिया भर में शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिदिन कुछ न कुछ नया ज़रूर होता है। अगर हमें दूसरे विकासशील देशों के साथ स्वयं को आगे बढ़ाना है, तो वक्त के साथ सामने आने वाली तबदीलियों के अनुरूप खुद को अपडेट करना होगा और आने वाली नई नस्ल को भी। ■





नई नीति में सरकारी अस्पतालों के काम की मनोदशा में बदलाव लाने की बात कही गई है। सरकारी अस्पतालों को सामाजिक संस्था मानने की सोच से बाहर निकलना होगा। अब सरकारी अस्पतालों को टैक्स फाइनेंस सिंगल प्लेयर हेल्थ केयर सिस्टम के रूप में काम करना होगा, जहां लोगों का इलाज मुफ्त में नहीं हो रहा है। सरकार ने लोगों के इलाज के लिए पहले ही भुगतान कर दिया है। जैसा कि व्यवसायिक हेल्थ इंश्योरेंस में होता है, जो लोगों की स्वास्थ्य ज़रूरतें पूरा करने का एक प्रभावी लागत वाला कार्यक्रम है।

चौथी दुनिया भ्यूरो

Ч

पधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 27 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली को संवेदित करते हुए कहा था कि भारत मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के लक्ष्य पूरे करने में थोड़ा पीछे छूट गया है। भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास के लिए पिछले दशक में उठाए गए कदम अपर्याप्त रहे। इस वजह से वर्ष 2000 से 2015 तक के लिए निर्धारित लक्ष्यों तक भारत नहीं पहुंच सका। इनमें पांच साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर, नवजात शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर के लक्ष्य पाने में हुई चूक शामिल है। साथ ही भारत प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा प्रसव कराने का लक्ष्य नहीं पा सका है। आज भी भारत में 27 प्रतिशत बच्चों का जन्म घरों में होता है। जन्म लेने वाले प्रति एक लाख बच्चों में से 178 मातृ के मुंह में चले जाते हैं।

अब मोदी सरकार देश के लिए एक नई स्वास्थ्य नीति लेकर आई है। इससे पहले वर्ष 1983 और 2002 में भी सरकार स्वास्थ्य नीति लेकर आई थी। सरकार उन नीतियों के अंतर्गत बनाए गए लक्ष्य पंचवर्षीय योजनाओं के आधार पर हासिल करने में असफल रही। सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में जीडीपी का दो प्रतिशत व्यय का लक्ष्य भी पूरा करने में असमर्थ रही। इसका सीधा प्रमाण संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित मिलनियम डेवलपमेंट गोल पंद्रह वर्षों की दीर्घ अवधि में भी हासिल न कर पाना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का ड्राफ्ट मोदी सरकार ने जनता के बीच विचार-विमर्श और सुझावों के लिए रखा है। नीति का उद्देश्य और लक्ष्य सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को सुलभ बनाना है। राइट टू हेल्थ देने की दिशा में भी केंद्र सरकार की योजना है। इन नीतियों में स्वास्थ्य सेवाओं के बजट में इज़ाफा कर कुल जीडीपी का 2.5 प्रतिशत खर्च करने की दिशा में सरकार काम करेगी। स्वास्थ्य के लिए जीडीपी का अंश खर्च करने के मामले में भारत दुनिया के अग्रणी देशों से बहुत पीछे है। कुल स्वास्थ्य बजट का 40 प्रतिशत रिसर्च, मैन पॉवर के विकास, नियंत्रण और महंगी दबाएं थोक में खरीदने के लिए खर्च किया जाएगा।

सरकार का लक्ष्य प्राथमिक स्तर पर ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है, जिससे द्वितीय और तृतीय स्तर पर भार कम होगा और वहां भी बेहतर सुविधाएं लोगों को उपलब्ध कराई जा सकेंगी। भारत में हेल्थ इंडस्ट्री (स्वास्थ्य उद्योग) प्रति वर्ष 15 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है। यह वृद्धि दर देश के अन्य किसी भी औद्योगिक क्षेत्र से दोगुनी और देश की जीडीपी से तिगुनी है। स्वास्थ्य के रखरखाव का खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है। इसे देश में गरीबी बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। इसी वजह से देश में सरकार द्वारा गरीबी हटाने के लिए किए जा रहे उपाय बेअसर साक्षित हो रहे हैं। इसलिए देश में एक ऐसी स्वास्थ्य नीति की आवश्यकता है, जो बदलती ज़रूरतों के अनुकूल हो। ग्लोबलाइजेशन के दौर में दुनिया में वस्तुओं और लोगों का आवागमन बढ़ा है। इस वजह से कुछ जगह विशेष में केंद्रित रहने वाली बीमारियां भी वैश्विक स्तर पर फैल रही हैं। उदाहरण के लिए इबोला, स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियों ने वैश्विक रूप से लिया है। महामारी फैलने की स्थिति में इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम को स्वास्थ्य नीति में शामिल किया गया है।

देश में स्वास्थ्य उद्योग के विकास के साथ-साथ एक नई समस्या भी उभरी है. निजी अस्पतालों में उपचार का खर्च बेतहाशा बढ़ गया है. जिन लोगों के पास स्वास्थ्य बीमा है, वे तो बिना किसी मोल-भाव के ऐसे अस्पतालों में ड्लाइज करा सकते हैं, सक्षम हैं, लेकिन आम आदमी जिसके पास बीमा नहीं है, उसके लिए इन पंच सितारा अस्पतालों में ड्लाइज कराना नाममंकिन है. निजी अस्पतालों

मुँह की बीमारियों को जगह नहीं

भारत में तंबाकू से होने वाले कैंसर के रोगियों की भरमार है। तंबाकू का सेवन करने वालों को अधिकांशतः मुंह का कैंसर होता है। नई नीति में मुंह से संबंधित बीमारियों के इलाज का स्पष्ट तौर पर कोई जिक्र नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि मुख का स्वास्थ्य अच्छे स्वास्थ्य का सूचक होता है। मुंह में होने वाली बीमारियों का इफेक्शन शरीर के किसी भी हिस्से में फैल सकता है। यह अवधारणा ग़लत है कि मुंह की बीमारियां जानलेवा नहीं होतीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, मुख कैंसर भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है। मुख कैंसर का प्रभावशाली तरीके से निदान उसी सूरत में किया जा सकता है, जबकि इसकी पहचान प्रारंभिक दौर में हो जाए। एक तरफ सरकार तंबाकू उत्पादों पर लगातार टैक्स बढ़ा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ उसने खली सिंगरेट बेचने पर पांचदी लगा दी है।



સ્વાસ્થ્ય કીતિ-2015

कथा सुधर पाइयी बदल वारिय तो

में इलाज की कीमतें-दरें रेगुलेट करने की कोई नीति नहीं है ऐसे में हेल्थ ट्रॉरिज्म की वजह से इन अस्पतालों में इलाज कराना मुश्किल होता जा रहा है. भारत दुनिया भर में सस्ती स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जाना जाता है. नई नीति में इन अस्पतालों में इलाज की दर के रेगुलेशन का जिक्र कर्ही नहीं है. हालांकि, आवश्यक दवाओं के दामों का निर्धारण, स्वास्थ्य शिक्षा की गुणवत्ता, खाद्य पदार्थों की सुरक्षा, क्लीनिकल स्टैबिलिशमेंट का निर्धारण पहले की तरह स्थापित संस्थाओं के ज़रिये होगा. सरकार ने नई स्वास्थ्य नीति के तहत 58 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना बनाई है. अगले पांच वर्षों में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एप्स) की तर्ज पर 14 नए हॉस्पिटल खोले जाएंगे. नए मेडिकल कॉलेज खुलने के बाद देश में सरकारी एवं निजी मेडिकल कॉलेजों की संख्या 600 के आसपास पहुंच जाएगी. देश में फिलहाल 398 मेडिकल कॉलेज एम्बीबीएस की डिग्री देते हैं, जिनमें 52,105 सीटें हैं. यह संख्या भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश के लिए अपर्याप्त है. दक्षिण भारत के राज्यों में जनसंख्या कम है और मेडिकल कॉलेजों की संख्या ज्यादा है, लेकिन उत्तर भारत में मेडिकल कॉलेजों की संख्या जनसंख्या के लिहाज से बेहद कम है. उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में 32 और बिहार में केवल 12 मेडिकल कॉलेज हैं. लेकिन, सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती इन नए संस्थानों के लिए गुणवत्ता वाली वर्क फोर्म का चुनाव करना है, ताकि नए संस्थान एप्स के बाबार गुणवत्ता से कार्य कर सकें.

नई नीति में सरकारी अस्पतालों के काम की मनोदशा में बदलाव लाने की बात कही गई है। सरकारी अस्पतालों को सामाजिक संस्था मानने की सोच से बाहर निकलना होगा। अब सरकारी अस्पतालों को टैक्स फाइनेंस्ड सिंगल प्लेयर हेल्थ केयर सिस्टम के रूप में काम करना होगा, जहां लोगों का इलाज मुफ्त में नहीं हो रहा है। सरकार ने लोगों के इलाज के लिए पहले ही भुगतान कर दिया है। जैसा कि व्यवसायिक हेल्थ इंश्योरेंस में होता है, जो लोगों की स्वास्थ्य ज़रूरतें पूरा करने का एक प्रभावी लागत बाला कार्यक्रम है। सरकारी अस्पतालों में लोगों को मुफ्त दवाइयां, जांच और निदान उपलब्ध हो, इसके लिए उन्हें दूसरों से बेहतर सेवा देने के उद्देश्य से काम करना होगा। सरकारी सेवाओं को मुफ्त की जगह प्री-पैड के रूप में देखने से लोगों और अस्पताल में काम करने वालों के नज़रिये में अवश्य ही बदलाव आएगा।

देश में प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की बेहद कमी है। देश के कई हिस्सों में अस्पताल तो हैं, लेकिन वहां डॉक्टरों और दूसरे स्वास्थ्य कर्मियों की कमी के चलते लोगों का समुचित इलाज संभव नहीं हो पा रहा है। लोगों को प्राथमिक चिकित्सा के अलावा उच्चस्तरीय इलाज के लिए निकट के मेडिकल कॉलेजों या ज़िला अस्पतालों की शरण लेनी पड़ती है। ऐसे में डॉक्टरों की कमी को पूरा करना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। निजी अस्पतालों की ओर डॉक्टरों के रुख करने की वजह से सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी हो रही है। सरकार की योजना है कि प्रत्येक दस लाख की आबादी के



लिए 1000 बिस्तरों वाला सर्व सुविधा युक्त अस्पताल होना चाहिए। सरकार अस्पतालों के सुधार के लिए नियमित अंतराल में उनका आकलन करेगी। अस्पतालों को न्यूनतम मापदंडों के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा और उन्हें गुणवत्ता के सर्टिफिकेट दिया जाएगा। नियत समयांतराल में अस्पतालों की निरीक्षण किया जाएगा। साथ ही निश्चित समय सीमा वे अंतर्गत गुणवत्ता में सुधार करने वाले अस्पतालों को पुरस्कृत करने की भी योजना है।

देश में ब्लड बैंकों में खून की कमी की वजह से हर साल लाखों लोगों की मौत हो जाती है। ज़िला स्तर पर ब्लड बैंक और ब्लड की सुरक्षा एक गंभीर मसला है। वर्तमान में मान्यता प्राप्त ब्लड बैंकों की संख्या ज़िला और तहसील स्तर पर इतनी नहीं है कि लोगों के लिए संक्रमण रहित ब्लड की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। रिपोर्ट्स के अनुसार, देश के ज़िला एवं तहसील स्तर पर अधिकांशतः ब्लड की पूर्ति गैर-ब्लड बैंक स्रोतों से होती है। इसलिए सरकार इस दिशा में भी काम करेगी और लोगों के लिए सुरक्षित ब्लड की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। देश में लंबे समय से नेशनल ब्लड टांसफ्यूजन अर्थैरिटी

बनाने की बात कही जा रही है। पूर्ववर्ती यूपीए सरकार ने इस दिशा में कुछ क़दम भी उठाए थे, लेकिन बाद में इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। बदलते समय के साथ ब्लड डोनेशन के क्षेत्र में भी बदलाव की आवश्कताओं को जानते-परखते हुए ब्लड टांसफ्यूजन (रक्ताधान) के लिए अथार्टी बनाने की दिशा में

सरकार का लक्ष्य जनसंख्या नियंत्रण के साथ-साथ लिंगानुपात को भी संतुलित करना है। सरकार ने महिला नसबंदी के साथ-साथ पुरुषों की नसबंदी में इजाफा करने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में यह दर 5 प्रतिशत है, जिसे 30 प्रतिशत या इससे जितना ज्यादा हो सके, करने का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में यह स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि नसबंदी के लक्ष्य हासिल करने के लिए अपनाई जाने वाली आक्रामक विधियां न तो उचित हैं और न लक्ष्य पाने की दिशा में प्रभावी। शिक्षा के स्तर और पहुंच में बढ़ोत्तरी से ही जनसंख्या वृद्धि में प्रभावी तरीके से लगाम लगाई जा सकती है। टीवी एवं एड्स के अलावा मानसिक बीमारियों को भी नीति में प्राथमिकता के साथ रखा गया है। इसके अलावा आयुष को भी जगह दी गई है। कुल मिलाकर यह नीति भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत जल्द बड़ा बदलाव नहीं करने जा रही है और न कछु दिनों में स्वास्थ्य क्षेत्र का कायाकल्प डोने वाला है यदि

कुछ दिनों में स्वास्थ्य क्षत्र का कायाकल्प हानि वाला है। यदि इस नीति की बदौलत सरकार सबके लिए बेहतर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कर पाती है, तभी इसे सफल कहा जाएगा। अभी लोगों के सुझाव नई स्वास्थ्य नीति के ड्राफ्ट में शामिल किए जाने बाकी हैं। हालांकि, सरकार राइट टू हेल्थ लागू करने की दिशा में काम करती दिख रही है। यदि वह ऐसा करने में सफल होती है, तो यह उसकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक होगी। ■

रिक्षा पर गैर ज़रूरी प्रतिबंध लगाने वाले क्रान्तीयों को देखते हुए कहा जा सकता है कि देश में अनावश्यक रूप से जबरदस्ती बेझगारी पैदा की जा रही है। श्रम करने वालों का सास्ता क्रम—क्रम पर सरकार की शलत नीतियां देके हुए हैं। दिल्ली में मौजूद अधिकांश रिक्षा चालक उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल के हैं, जो रोझगार और अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए यहां आते हैं।



बुनकर आंदोलन पर भारी पड़ी यूनियनबाजी

तुनील सौरभ



हार का मैनचेस्टर कहे जाने वाले गया के मानपुर पटवा दोनों में 11 सूचीय मांगों को लेकर कीरब दम हजार बुनकर मजदूरों के अचानक हड्डाल पर चले जाने से 20 हजार पावरलूमों की धड़कन नौ दिनों तक बंद रही। जिसके चलते पावरलूम मालिकों को कीरब पांच करोड़ रुपये का घाटा उठाना पड़ा। लेकिन कमज़ोर आर्थिक स्थिति और प्रतिदिन क्रमाकर पूरे परिवार का भरण पोषण करने की लागती के चलते बुनकर मजदूरों ने दिनों के बांध ही मांग पूरी हुए बिना काम पर वापस लौटना पड़ा। हड्डाल का आहार करने की शुल्कनाल के नेताओं ने इस दौरान ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि पावरलूम संचालकों और हड्डाली बुनकर मजदूरों के बीच मारपीट होने लगी, एक-दूसरे के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्द भी कर्फ़ु गई। श्रम अधीक्षक का हड्डाल समाप्त करने का प्रयास भी विफल हो गया। लेकिन जब आर्थिक तंगी के चलते बुनकर मजदूरों के धरों में चूल्हे जलने बंद होने की नीतवान आने लगी, तो वे धीरे-धीरे काम पर वापस लौटने लगे।

श्रमिकों ने आरोप लगाया कि उन्हें बढ़ती महंगाई के दिसाब से मेहनताना नहीं मिल रहा है, इसलिए मेहनताने में 15 फ़ीसद का इजाफा होना चाहिए। उधर पावरलूम मालिक-संचालक मजदूरों में पांच फ़ीसद वृद्धि की बात कह रहे थे, जो उन्होंने कर भी दी। लेकिन, मजदूरों की हालत देखते हुए यह वृद्धि काफ़ी नहीं मानी जा सकती। बुनकर मजदूरों का कहना है कि राज्य सरकार भी उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। मानपुर में आठ हजार पावरलूम चल रहे हैं, एक भी मिल मालिक कीरब नहीं है, फिर भी उन्हें सरकार से कोरोड़ों रुपये की छप्पास मापी मिल रही है। यहां से हर वर्ष लगभग आठ-दस छात्र आईआईटी एवं एनआईटी की पढ़ाई के लिए चुने जाते हैं, लेकिन आज तक एक भी मजदूर

लड़के को आईआईटी में अवसर नहीं मिला। वहां इन मजदूरों की माली हालत पर किसी भी संगठन या राजनेता का व्याप्त नहीं जाना चाहिए? बुनकर मजदूर रात-दिन मशीन चलाते हैं, उन्हें वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और जल प्रूषण का सामान करना पड़ता है। यही नहीं, मजदूर आपदिन नई-नई बीमारियों के शिकार बनते हैं। पूरा भविष्य दांव पर लगा होने के बावजूद पावरलूम मालिक-संचालक कीरब मजदूरों के बारे में नहीं सोचते।

मानपुर पटवा दोनों के वस्त्र उद्योग में मजदूरों ने पहली बार इतनी लंबी हड्डाल की। अब तक पावरलूम मालिकों-संचालकों और बुनकर मजदूरों की आपसी सहमति से मजदूरी आदि तय हो जाती थी और मांग चलाता रहता था। मजदूरों की समस्याओं का हल भी आपस में शिलजुल कर निकाल लिया जाता था। लेकिन, कुछ यूनियनबाजी नेताओं की वजह से जहां मानपुर वस्त्र उद्योग को क्षति पहुंच रही है, वहां बुनकर मजदूरों को भी उनका वाजिब हक नहीं मिल पा रहा है। पावरलूम मालिकों-संचालकों के अनुसार, जिस तरह यूनियनबाजी करके रोहतास इंस्ट्रीज डालमिया नगर,

श्रमिकों ने आरोप लगाया कि उन्हें बढ़ती महंगाई के हिसाब से मेहनताना नहीं मिल रहा है, इसलिए मेहनताने में 15 फ़ीसद का इजाफा होना चाहिए। उधर पावरलूम मालिक-संचालक मजदूरों में पांच फ़ीसद वृद्धि की बात कह रहे थे, जो उन्होंने कर भी दी। लेकिन, मजदूरों की हालत देखते हुए यह वृद्धि काफ़ी नहीं मानी जा सकती। बुनकर मजदूरों का कहना है कि राज्य सरकार भी उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। मानपुर में आठ हजार पावरलूम चल रहे हैं, एक भी मिल मालिक कीरब नहीं है, फिर भी उन्हें सरकार से कोरोड़ों रुपये की छप्पास मापी मिल रही है। यहां से हर वर्ष लगभग आठ-दस छात्र आईआईटी एवं एनआईटी की पढ़ाई के लिए चुने जाते हैं, लेकिन आज तक एक भी मजदूर



गुरांग चीनी मिल, वारसलीगंज चीनी मिल, गया कॉटन एवं जूट मिल समेत विहार के अन्य कई उद्योग बंद कराकर कामगारों को भूखे मरने के लिए विवाद किया, उत्तीर्ण तरह मानपुर वस्त्र उद्योग भी बंद कराने की साजिश रखी गई थी। दरअसल, किसी भी मजदूर ने अपने पावरलूम संचालक या मालिक से लिखित रूप से कोई मांग नहीं की थी। ज़िला पदाधिकारी का समक्ष प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए डेंग यूनियन के नेताओं ने उन्हें 11 सूचीय मांगों का ज्ञान दिया, तब पता चला कि मजदूरों की मांगें क्या-क्या हैं। मूल रूप से वर्तमान मजदूरी में 20 फ़ीसद बढ़ोत्तरी की मांग थी। पावरलूम पर काम करने वाले मजदूरों को एक मशीन पर आठ घंटे काम करने की 80 रुपये मजदूरी दी जाती है। एक शिष्ट में एक मजदूर एक साथ तीन पावरलूमों पर काम करता है। वस्त्र उद्योग बुनकर सेवा समिति के अध्यक्ष प्रेम नारायण पटवा ने कहा कि हड्डाल के पहले ही हमने मजदूरी में पांच फ़ीसद की

वृद्धि कर दी थी, लेकिन बुनकर कामगार संघ ने 20 फ़ीसद वृद्धि की मांग को लेकर हड्डाल कर दी। बाद में उद्योग मालिकों और पचास फ़ीसद कामगारों के बीच आपसी सहमति से मामला सुलझा और सभी कामगार वापस लौट आए। 12 से 20 जनवरी तक हुई इस हड्डाल के चलते वस्त्र उद्योग को कीरब पांच करोड़ रुपये का घाटा दुआ हुआ। बुनकर मजदूर नंद प्रसाद ने बताया कि इससे पहले कभी इतनी लंबी हड्डाल नहीं हुई। जब हम मजदूरी बढ़ाने की बात करते, तो मालिक-संचालक हमारी बात मान लेते थे। इस लंबी हड्डाल के चलते घर में चूल्हा जलना मुश्किल हो गया। बुनकर मजदूर नूर आलम के अनुसार, काम करते हैं, तभी हमें और परिवार को भोजन मिलता है। सच भी यही है कि कामगारों को रोज कमाना-रोज खाना के दिसाब से चलना पड़ता है। अगर वे एक दिन भी काम छोड़कर बैठ जाएं, तो परिवार का भरण पोषण मुश्किल हो जाता है। ■

रिक्षा चालकों की सुध कब लेगी सरकार

कुमार कृष्णन




क्षमा हमारे देश में शहरी यातायात के मुख्य साधन हैं। निम्न-मध्यम वर्ग की यह प्रमुख सवारी है। महानगरों से लेकर छोटे-छोटे शहरों, कस्बों तक रिक्षा चालकों की अपनी एक अलग पीड़ि है, जिसके परवाह सकार को नहीं है। दिन भर खून-पासीन बहाने के बावजूद रिक्षा चालकों को भारपेट भोजन भी नसीब नहीं होता। एक और कोरोड़ों रुपये खर्च करके सरकार विधिन प्रकार की योजनाएं चलाती है, जबकि दूसरी ओर कई ऐसे कानून भी हैं, जो आप आदिकों को इमानदारी से चार पैसे कमाने से रोकते हैं। रिक्षा चालकों से संबंधित कानून इसका जीता-जागत उत्तरहण है। रिक्षा भले ही अब लगभग तुलना प्रयत्न करता है चुका है, लेकिन उसकी शैली एक परिवहन के रूप में आज भी लोगों को आकर्षित करती है। भारत में सन् 1920 में पहली बार रिक्षा शिमल में दिखाई पड़ा। तकरीबन 18 साल बाद 1938 में कोलकाता में रिक्षा दिखा। इसके बाद उसकी पहुंच बढ़ती गई।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें, तो सन् 2000 में यहां 40 हजार रिक्षा चालक थे, जबकि वर्तमान में लगभग एक लाख रिक्षा चालक हैं, जो हर जगह दिख जाते हैं। मेट्रो स्टेशनों के आसपास निकटतम स्थान पर जाने का यह सस्ता और सर्वसूलभ माध्यम है। सरकार का ध्यान इन रिक्षा चालकों पर नहीं है, क्योंकि ये सरकार द्वारा बनाई गई किसी नीति के अंतर्गत नहीं आते। रित्युली जटिल हो गई है कि सबका साथ और सबका विकास की बात करने वाले केंद्र सरकार इन गरीबों पर भारी पड़ रही है। नारा नियम ने यातायात पुलिस के सहयोग से दिल्ली को तीन क्षेत्रों में बांट दिया है—मुक्त, प्रतिबंधित और सीमित क्षेत्र। मुक्त क्षेत्र में रिक्षा चालने की आजादी है, प्रतिबंधित क्षेत्र में बिल्कुल मनाही है और सीमित क्षेत्र में रिक्षा चलाने के लिए कुछ शुल्क आदा करना पड़ता है।

दरअसल, प्रतिबंधित और सीमित क्षेत्र तक करने के पीछे नीति निर्माताओं का तर्क यह है कि रिक्षों की वजह से सड़क जाम की समस्या पैदा होती है, ऐसे में सवाल वह उठता है कि जिन सड़कों के लिए रिक्षे नहीं की जा सकती? यात्रियों की मुक्त आवाजाही के लिए आप आदिकों द्वारा किए गए टैक्स की रकम से फ़लाईओवर बनाए जा सकते हैं, तो किस रिक्षा चालकों के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं की जा सकती? गौरतलव है कि राजकोष का अधिकांश हिस्सा परोक्ष कर से एकत्र होता है, जिसमें साधारण, निम्न-मध्यम वर्ग के लोगों का भी योगदान होता है। यदि रिक्षा चालक सस्ती और आरम्भात्मक सेवा दे सकते हैं और लोग रिक्षा की साथीयता करना चाहते हैं, तो किस कीरबी भी रिक्षा चालकों को देखते हुए किसी नहीं होती है। यह नीति निर्माताओं के लिए अलग है। आरम्भात्मक रिक्षा चालकों की वजह से रिक्षा चालकों के लिए यह सेवा दे सकते हैं और लोग रिक्षा की साथीयता करना चाहते हैं, तो किस कीरबी भी रिक्षा चालकों को देखते हुए किसी नहीं होती है। अधिकांश रिक्षा चालक अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए यह सेवा दे सकते हैं और लोग रिक्ष

घुटने की प्रत्यारोपण सजरी आसान विकल्प है



चौथी दृनिया ब्युरो

माँ

A portrait of Dr. Rakesh Kumar, a surgeon, wearing a surgical cap and mask. He is smiling and looking towards the camera.

-डॉक्टर एल. तोमर, ऑर्थोपेडिक सर्जन, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल

A pair of large, stylized orange comma-like characters used as bookends for a quote.

रिचर्ड सोर्गः द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रूस की मद्दत की

चौथी दुनिया भ्यूरो

पू री दुनिया में युद्धों के लिए सेना जितनी महत्व-पूर्ण है, उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है जासूसी का नेटवर्क जो समय रहते न सिर्फ जानकारियां दे, बल्कि दुश्मन की हर एक रणनीति नाकाम कर दे। रिचर्ड सोर्गे (जन्म-1895, मृत्यु-1944) ने सोवियत रूस के लिए जापान में जासूसी की। सोर्गे ने एक पत्रकार के रूप में जासूसी की। उसे कई यूरोपीय देशों में सम्भावित कम्युनिस्ट आन्दोलन का पता लगाने के लिए भेजा गया। 1920 से 1922 के बीच सोर्गे जर्मनी में था। वहां वो क्रिस्टीना गेलेंच से मिला। क्रिस्टीना वहां के एक धनी कम्युनिस्ट डा. कुर्ट अलबर्ट की पूर्व पत्नी थी। सोर्गे ने क्रिस्टीना से 1921 में शादी कर ली। इसके बाद वे फ्रैंकफर्ट चले गए। यहां पर सोर्गे ने विजेनेस कम्युनिटी के बारे में जानकारी जुटानी शुरू कर दी। फ्रैंकफर्ट में सोर्गे ने एक नए मार्किस्ट थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फार सोशल रिसर्च को मदद करने का काम किया। 1924 में अपनी पत्नी के साथ सोर्गे मास्को चला आया। 1929 में सोर्गे ब्रिटेन गया जहां उसने श्रमिक आन्दोलन का और वहां की कम्युनिस्ट पार्टी का अध्ययन किया। वह वहां की राजनीति से दूर रहा और अंडर कवर रह कर काम करता रहा।




और प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान कई सैनिकों को मौत के घाट उतारा। इस दौरान रिचर्ड सोर्गे बुरी तरह घायल हो गया और उसकी टांगे तक टूट गईं। इसके बाद उसने रूसी सेना में अंडरकवर एजेंट के तौर पर काम किया और पत्रकार के तौर पर यूरोपीय देशों में गया। इस बीच उसे रूसी कम्युनिस्ट सरकार ने 1922 में व्यापारियों की जासूसी करने के लिए फ्रैंकफुर्ट में भेजा। सोवियत रूस के लिए वो कितना महत्वपूर्ण था, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि रूस ने उसे 1933 में जापान में जासूसी नेटवर्क खड़ा करने की जम्मेदारी। इसी ने 14 सितंबर 1941 में रूस को सूचना दी कि जापानी सेना रूस पर हमला करने नहीं जा रही, बल्कि साइबेरिया में सिविल वार को बढ़ावा देने की तरफ उसका ध्यान है। रिचर्ड सोर्गे 18 अक्टूबर 1941 में टोकियो में गिरफ्तार किया गया, जब उसकी प्रेमिका ने उसकी एक पर्ची फेंक दी। उसने पकड़े जाने पर खुद के रूसी होने से इनकार कर दिया। उसे रूस ने भी युद्ध कैदी के तौर पर स्वीकार नहीं किया और वो टॉर्चर होता रहा। रिचर्ड सोर्गे को 7 नवंबर 1944 को फांसी दे दी गई। सोवियत रूस ने 1964 में उसे अपना जासूस स्वीकार किया। इससे पहले उसके रूसी जासूस होने का बारे में किसी तरीके से भी पता नहीं चल पाया था।

किसी का भा पता नहीं चल पाया था।
 1954 में पश्चिमी जर्मनी के फ़िल्मकार वेट हैरलान ने जापान में सोरोंग की भूमिका पर एक फ़िल्म बनाई। फ़िल्म का नाम बीट्रेयल आफ जर्मनी है। हैरलान नाजियों के प्रचार मंत्री जोसेप गोएबल्स का पसंदीदा फ़िल्मकार था, जिसने कई प्रोपेर्डोंडा फ़िल्में बनाईं। इस फ़िल्म को पश्चिमी जर्मनी में रीलिज के दो दिन बाद ही प्रतिबन्धित कर दिया गया था जिसे फिर से सम्पादित करने के बाद ही जारी किया जा सका। ■

रिचर्ड सोर्गे को सोवियत रूस के बड़े जासूसों में जगह मिलती है। इसने द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान महत्वपूर्ण जानकारियां रखियों को सौंपी। रिचर्ड सोर्गे का जन्म रूसी जार के शासनकाल में अजरबैजान में

रिचर्ड सोर्गे को सोवियत रूस के बड़े जासूसों में जगह मिलती है। इसने द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान महत्वपूर्ण जानकारियां रूसियों को सौंपी। रिचर्ड सोर्गे का जन्म रूसी जार के शासनकाल में अजरबैजान में हुआ था। उसके अंकल कार्लमार्क्स के अनुयाई थे, जिसकी वजह से उसे प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान कार्यकर्ता के तौर पर काम करने का मौका मिला। इसने रूसी सेना के साथ काम किया और प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान कई सैनिकों को मौत के घाट उतारा। इस दौरान रिचर्ड सोर्गे बुरी तरह घायल हो गया और उसकी टांगे तक टूट गईं। इसके बाद उसने रूसी सेना में अंडरकवर एजेंट के तौर पर काम किया और पत्रकार के तौर पर यांगोपीय ट्रेनों में बाया

feedback@chauthiduniya.com



चौथी दुनिया की हर खबर अब आपके Android  फोन पर भी उपलब्ध,
Play Store से Download करें | CHAUGHTIDUNIYA APP |



साईं की महिमा

एक दिन भरपेट खाने के बाद गधे की तबीयत मस्त होने लगी. वह भी लगा लोट लगाने. बाष की खाल तो एक ओर गिर गई. गधे के लोट लगाने के समय पौधों के रौद्रे जाने और चटकने की आवाज फैली. एक रथवाला चुपचाप बाहर निकला. खेत में झांका तो उसे एक ओर गिरी बाष की खाल नजर आई और खेत से बाहर आता एक गधा दिल्लाई दिया. वह चिल्लाया अरे, यह तो गधा है. उसकी आवाज औरंगे ने भी सुनी. क्रोध से भेरे रथ वालों ने उसे वर्ही ढेर कर दिया. उसकी सारी पोत स्थल चुकी थी. धोबी को भी वह नगर छोड़कर कहीं और जाना पड़ा.

साईं की महिमा अपरंपार

चौथी दुनिया ब्लॉग

Uक बार एक भक्त ने बाबा की अनुपस्थिति में दूसरे लोगों के सम्मुख किसी को अपशब्द कह. गुणों की उपेक्षा कर उसने अपने भाई के प्रति दोषारोपण में इने कटु वाक्यों का प्रयोग किया कि सुनने वालों को भी उसके प्रति धूपा होने लगा. बहुधा देखने में आता है कि लोग व्यर्थ ही दूसरों की निंदा करके विवाद उपनन करते हैं. संत तो पदवारों को दूसरी दृष्टि से देखा करते हैं. उनका कथन है कि शुद्धि के लिए अनेक विधियों में यिहीं, जल और साबुन पर्याप्त है, परंतु निंदा करने वालों की युक्ति भिन्न होती है. वे दूसरों के दोषों को केवल अपनी जिन्हों से ही दूर करते हैं और इस प्रकार देखा जाए तो, वे दूसरों की निंदा करके उकार ही करते हैं, जिसके लिए दरअसल, वे धन्यवाद के पात्र हैं. निंदक को उचित मार्ग पर लाने के लिए साईं बाबा की पद्धति सर्वथा भिन्न थी. वह तो सर्वज्ञ थे, इसलिए उस निंदक के कार्य को समझ गए. जब लेंडी के समीप उस भक्त से भेंट हुई, तब उन्होंने विष्णु खाने हुए एक सुअर की ओर उगली उड़ाक उससे कहा कि देखो, वह कितने प्रेमपूर्वक विष्णु खा रहा है. तुम जी भरकर अपने भाईयों को सदा अपशब्द कहा करते हो हैं और तुम्हारा आचरण भी ठीक उसी के सदृश है. अनेक सुध कहाँ के परिणामस्वरूप तुरंत मानव तन प्राप्त हुआ और वह तुम्हे इसी प्रकार आचरण किया, तो शिरडी तुम्हारी क्या सहायता कर सकेगी. कहने का तात्पर्य केवल यही है कि भक्त ने उपदेश ग्रहण कर लिया और वह वहां से चला गया. इस प्रकार प्रसंगानुसार ही वह उपदेश दिया करते थे.



यदि उन पर ध्यान देकर नित्य उनका पालन किया जाए, तो आध्यात्मिक ध्येय अधिक दूर नहीं होगा।

आत्मानुभूति प्राप्ति के लिए सबको अनवरत परिश्रम करना चाहिए. बाबा ने कहा कि मैं तो सर्वव्यापी हूं और विश्व के समस्त भूतों तथा चराचर मैं व्याप्त रहकर भी अनंत हूं. केवल उनके प्रभाव उत्तम कार्यों में संलग्न हरकर अपना कर्तव्य करते हुए अनन्य भाव से भरहरित हो उनकी शरण में जाना चाहिए. जो पूर्ण विश्वास से उनकी लीलाओं का श्रवण कर उनका मनन करेगा तथा अन्य वस्तुओं की चिंता त्याग देगा, उसे निस्संदेह आत्मानुभूति की प्राप्ति होगी. उन्होंने अनेक लोगों से नाम का जापकर के अपनी शरण में आने को

एवं मिश्री, लहर एवं समुद्र और नेत्र एवं कांति में अभिनन्त हुआ करती है. जो लोग आवागमन के चक्र से मुक्त होना चाहें, वे शांत और स्थिर होकर अपना धार्मिक जीवन व्यतीत करें. दुखदायी-कटु शब्दों के प्रयोग से किसी को दुखी न करके सदैव उत्तम कार्यों में संलग्न हरकर अपना कर्तव्य करते हुए अनन्य भाव से भरहरित हो उनकी शरण में जाना चाहिए. जो पूर्ण विश्वास से उनकी लीलाओं का श्रवण कर उनके चरणों के समीप रखा, बहुतों को खंडोबा मंदिर भेजा और कई लोगों को उन्होंने अपने चरणों के समीप रखा, उन्होंने अनेक लोगों से नाम की शपथ खार्त, तभी उन्होंने अपने चरणों के स्वप्न में दृष्टांत दिए. एक बार वह एक मदिरा सेवी के स्वप्न में प्रगट होकर उसकी छाती पर चढ़ गए और जब उसने मध्यापन त्यागने की शपथ खार्त, तभी उसे छोड़ा. किसी-किसी को गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु आदि का अर्थ स्वप्न में समझाया और कुछ हठयोगियों को हठयोग छोड़ने की राय देकर चुपचाप बैठकर धैर्य रखने को कहा. उनके सुगम पथ और विधि का वर्णन असंभव है.

साधारण सामाजिक व्यवहारों में उन्होंने अपने आचरण द्वारा अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए. एक दिन बाबा ने राधाकृष्ण माई के

घर के समीप आकर एक सीढ़ी लाने को कहा. एक भक्त सीढ़ी ले आया और उनके कहे अनुसार वाम पौंडकर के घर पर उसे लगाया. वह उनके घर पर चढ़ गए और राधाकृष्ण माई के छप्पर पर से होकर दूसरे छोर से नीचे उत्तर आए. इसका अर्थ किसी की समझ में नहीं आया. राधाकृष्ण माई उस समय ज्वर से कांप रही थीं. इसलिए हो सकता है कि उनका ज्वर दूर करने के लिए ही उन्होंने ऐसा कांप रही थीं. नीचे उत्तर के बाद शीघ्र ही उन्होंने सीढ़ी लाने वाले को दो रुपये पारिश्रमिक स्वरूप दिए. तब

आत्मानुभूति प्राप्ति के लिए सबको अनवरत परिश्रम करना चाहिए. बाबा ने कहा कि मैं तो सर्वव्यापी हूं और विश्व के समस्त भूतों तथा चराचर में व्याप्त रहकर भी अनंत हूं. केवल उनके भ्रम निवारणार्थ, जिनकी दृष्टि में वह साधे तीन हाथ के मानव थे, स्वयं सगुण स्वप्न धारण कर अवशीर्ण हुए. आप साईं को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साईं भक्त. साईं बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है. साईं बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए प्रतीकों पर लेगे एवं कांपिए.

एक ने साहस करके उनसे पूछा कि इन्हें अधिक पैसे देना क्या अर्थ रखता है. उन्होंने कहा कि बिना परिश्रम का मूल्य चुकाए किसी से कांप नहीं कराना चाहिए और कार्य करने वाले को उदार हृदय से मज़दूरी देनी चाहिए. यदि बाबा के इस नियम का पालन किया जाए, यानी मज़दूरी का भुगतान शीघ्र और संतोषपूर्ण हो, तो मज़दूर अधिक उत्तम कार्य करेंगे. फिर कार्य छोड़ने एवं हड्डाल जैसी कोई समस्या ही नहीं रह जाएगी और न मालिक और मज़दूरों के बीच वैमनस्य पैदा होगा. ■

साईं के न्यारह वचन

- जो शिरी आएगा, आपद दूर भगाएगा.
- चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तते दुःख की पीढ़ी पर.
- त्याग शरीर चला जाएगा.
- भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा.
- मन में रथना दूढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस.
- मुझे सदा जीवित ही जानो, अवृत्त भरो करो सत्य पहचानो.
- मेरी शरण आ खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए.



नदियों को जोड़ने की जरूरत

देश के अनेक बुद्धिजीवियों की राय है कि देश में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ और सूखे की समस्या से निपटारा पाने का सर्वोत्तम उपाय नदियों को जोड़ने की जीती है. बसात के मीसम में जब बांधों में पानी छोड़ा जाता है तो सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं और कई गांव बाढ़ में जूब जाते हैं. कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां अनावृष्टि की स्थिति में सूखा पड़ जाता है. नदियों को जोड़ने से यह लाभ होगा कि जहा अतिरिक्त पानी है, उसे कम पानी वाले क्षेत्रों में पहुंचाकर हम बाढ़ और सूखे दोनों से देशवासियों को बचा सकते हैं.

-राजकिशोर पाण्डेय, लखनऊ यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश

व्यवितत्व की लड़ाई

कवर स्टोरी-दिल्ली विधानसभा चुनाव, मददगारी की व्यवितत्व की लड़ाई है (02 फरवरी-08 फरवरी 2015) पदा. मनीष कुमार ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर अपने जो विचार व्यवत हिए हैं उससे मैं बिल्कुल सहमत हूं. दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी यही दिल्ली है. नीतीश कुमार की गती की हड्डी बन चुके हैं जीतन राम माझी, जिसे नीतीश निगल पा रहे हैं न उगल पा रहे हैं. नीतीश अगर माझी को मुख्यमंत्री पद से हटाते हैं तो उनको डर है कि उनका वित्त मतदाता विहार विधानसभा चुनाव में उनसे कट जाएगा. माझी नीतीश के लिए गले की फांस बन चुके हैं.

-पवन कुमार, बक्सर, बिहार

सपा का अन्तर्विरोध

आलेख-समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश कार्यकारिणी का गठन, पिचा-पुरु की सामान्तर भूमी नेता-कार्यकर्ता हैं (02 फरवरी-08 फरवरी 2015) अपार्टमेंटों के मंत्रियों को भी नहीं नियमित बुकें हैं. यह सूखी जारी होने के बाद तो आपस में ही धनधोर अंतर्विरोध नजर आता है. अब सपा को लेकर ऐसे कई सवाल खड़े हो रहे हैं. मुलायम सिंह यादव का अखिलेश सरकार के बिनालाफ सवाल खड़ा करना ही दिखाता है कि वह अखिलेश सरकार के कामकाज को लेकर संतुष्ट नहीं है. सपा प्रमुख जानते हैं कि अगर अखिलेश सरकार पर आधारित स्टोरी है. बिल्कुल सही है कि अगर चुनाव से मुददे गायब हो चुके हैं, केवल व्यक्तित्व की लड़ाई ही रही है. यही लोकसभा चुनाव में भी हुआ और दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी यही हुआ. इस अंक में जब तोप मुकाबिल हो-बहस से असल मुददा गायब है, भाजपा परिवर्तन के द्वारा से गुर रही है और भाजपा की राजनीति समेत सभी खबरें बैठक प्रभावित करने वाली हैं. चौथी दुनिया समाचार पत्र में सप्ताह भर की पृष्ठी खबरें पढ़ने को मिल जाती हैं. चौथी दुनिया समाचार पत्र में चौथी दुनिया समाचार पत्र को अपना यह सिलसिला



दुःख कम होने के बाद लंबू ने, जो मुंबई में किसी अखबार में नौकरी सोजने गया था और बैरंग लौटा था, अपने मुंबई प्रवास की कहानी सुनाई। उसने बताया कि वह नौकरी के सिलसिले में जिस बनासी दोस्त के कमरे पर ठहरा था, वह एक पुराने यूपी वाले भड़ा का मकान था। दोस्त एक हिंदी अखबार में मुलाजिम था और उसके लिए भी कोशिशें कर रहा था। एक अखबार में उसके लिए बात कर उसने साक्षात्कार की व्यवस्था की थी, लेकिन वह वर्तमान राष्ट्रीय राजनीति से जुड़े सवालों के जवाब नहीं दे पाया था।

साहित्य को समेटता विशेषांक



हिं दी समेत कई भारतीय विशेषांक निकालने की पंपरा रही है। कोलकाता से उत्तर के मौके पर जनसत्ता का साहित्य विशेषांक और नगापुर से प्रकाशित लोकमत का साहित्य विशेषांक के अलावा कई साहित्यिक पत्रिकाओं के विशेषांक निकलते रहे हैं। किसी जमाने में इंडिया टुडे विशेषांक निकालता था। बाद में हिंदी के वरिष्ठ पत्रिकाएँ दिनांक कवि विष्णु नागर शुक्रवार साप्ताहिक के संपादक बने, तो उन्होंने भी साहित्य विशेषांक निकाले थे, लेकिन जनसत्ता और लोकमत को छोड़कर लगभग सभी साहित्य विशेषांकों का प्रकाशन स्थगित हो चुका है। भारतीय ज्ञानीष्ठ की प्रतिष्ठित पत्रिका नवा ज्ञानोदय भी कई साहित्य विशेषांक निकाल चुका है।

नवा ज्ञानोदय की कमान संभालने के बाद हिंदी के वरिष्ठ कवि विष्णु नागर शुक्रवार साप्ताहिक के संपादक बने, तो उन्होंने भी साहित्य विशेषांक निकाले थे, लेकिन जनसत्ता और लोकमत को छोड़कर लगभग सभी साहित्य विशेषांकों का प्रकाशन स्थगित हो चुका है। भारतीय ज्ञानीष्ठ की प्रतिष्ठित पत्रिका नवा ज्ञानोदय भी कई साहित्य विशेषांक निकाल चुका है।

नवा ज्ञानोदय की कमान संभालने के बाद हिंदी के वरिष्ठ कवि एवं लेखक लीलाधर मंडलोई के संपादक बने थे, तो उन्होंने भी साहित्य विशेषांक को अपनी हिंदी के पाठकों को भ्रूपेन की ज़िंदगी से रुखरू करानी है। यह हिंदी के पाठकों को भ्रूपेन की ज़िंदगी से रुखरू करानी है। इस विशेषांक में एक और नई पहल, कह सकते हैं, शुरू हुई है कि हिंदी की अलग-अलग विधाओं की किताबों के लेखक-पाठक सर्वेक्षण प्रकाशित हैं। उपन्यासों में काशी नाथ सिंह के उपसंहार, ज्ञान चतुर्वेदी के हम न मरब और भगवान दास मोरवाल के नरक मसीहा को क्रमण: पहला, दूसरा और तीसरा स्थान मिला है। इसी तह केदार नाथ सिंह, अशोक वाजपेयी और लीलाधर जगड़ी के

नामवर सिंह ने कहा कि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, उस दौर में ख्रेतरा स्वयं संस्कृति पर है और आप जानते हैं कि संस्कृति एकवचन शब्द नहीं है, संस्कृतियां होती हैं और इसलिए संस्कृति हमेशा बहुवचन होती है। सभ्यताएँ दो-चार होंगी, लेकिन संस्कृतियां सैकड़ों होती हैं। इसलिए ऐसे दौर में, जहां संस्कृति की बहुलता को संकट हो और तमाम संस्कृतियों की बहुलता पर पटेल चलाते हुए समतल काने का प्रयास किया जा रहा है, उस सांस्कृतिक बहुलता को नष्ट होते हैं। देखकर स्वभावतयः चिंता होती है। इसके अलावा गालिब पर मीर की शायरी के प्रभाव को परखते हुए सम्मुखीन फालकी का बेहद विचारोंने जलेख प्रकाशित है। यह विचारोंने जलेख प्रकाशित है। अब उसकी जगह फेसबुक आदि ने ले ली है। लेकिन, फेसबुक आदि पर वह आत्मीयता नहीं महसूस की जा सकती है, जो पत्रों से महसूस होती थी। वर्चुअल दुनिया में आत्मीयता की बात करना ही बेमानी है। इस अंक में कई महत्वपूर्ण शिल्पियों के बीच पत्र व्यवहार प्रकाशित है। जवाहर लाल नेहरू और बरांड शॉ, मिर्जा गालिब के कई अली सरदार जाफ़री के बेगम सुलताना के नाम खत, पत्र, अली सरदार जाफ़री के बेगम सुलताना के नाम खत, केदार नाथ अग्रवाल और हरिशंकर परसाई के भी कई दिलचस्प पत्र संकलित हैं।

इस परिष्ठर्चा का विषय है, उत्तराखण्ड में साहित्य-संस्कृति का वर्तमान और सहभागी हैं, अशोक वाजपेयी, कृष्ण कुमार, प्रेमपाल शर्मा, विष्णु नागर, मनीषा कुलश्रेष्ठ एवं चित्रकार अशोक भौमिक। उदारवाद के साहित्य एवं संस्कृति पर पड़ने वाले असर को लेकर तमाम लेखक और बुद्धिजीवी चिंतित नज़र आते हैं, लेकिन अशोक वाजपेयी बेहद साफगोई से कहते हैं, वैचारिक आंदोलन के न होने का अर्थ विचार का न होना नहीं है। वाजपेयी के मुताबिक, यह संस्कृतिक शून्यता है, पर बाहर से किन्हीं शक्तियों ने नहीं लाद दी है।

कहानी

विमल चंद्र पांडे

वे दोनों शीतला मंदिर से थोड़ा आगे निकले और सीढ़ियों पर बैठ गए। मोटे ने अपना हैंडीकैम निकाला और दूर नहा रही ही युवतियों पर फोकस करने लगा। तीसरा विश्वनाथ गाथी में रहता था और एक सांध्यकालीन अखबार में पत्रकार था। उसका घर घाट के किनारे था। घाट के निवासी यानी घटियेरे लोग घाट के सब राज़ जानते थे और इस सहारे वे धर्म के भी सभी राज़ जानते का दावा करते थे। वह काली लंबा था और दूर से ही नज़र आ जाता था। थोड़ी देर में वह दोनों के बताए स्थान पर पहुंचा और पहुंच कर उनके पास बैठ गया।

माल है? उसे देखते ही मोटे ने जिजासा व्यक्त की।

हां, उसने संक्षिप्त जवाब दिया और हाफ जैकेट की भीतरी जेब से एक पीली पन्नी निकाली, जो बारात में नमकीन खिलाने के काम में आती थी और जिसे दबाकर चंद्र किया जाता था। उसने पन्नी में से कुछ सूखे-निचुड़े पौधों के टुकड़े निकाले और उनकी सफाई करने लगा।

देखें महक, चश्मे वाले ने चेहरा आगे किया और तीसरे ने हथैं में रखी चीज़ एक बार चश्मे वाले की नाक के सामने से घुसी दी।

तगड़ा है, चश्मे वाले ने महक न पाने के बाबत खुद के अनुभवी गंजेड़ी होने का बाबत दिया। चाहिए। दिमाग़ का मन नहीं कर रहा है। कुछ बातों बे, अलग-सी स्टोरी आज के लिए नहान में से... चश्मे वाले ने लंबू की ओर देखा।

खाली करो इसको, लंबू ने चश्मे वाल को एक सिगरेट निकाल कर देते हुए कहा। चश्मे वाला सिगरेट को हल्के-हल्के मसल कर उनके अंदर की तंबाकू निकालने लगा।

लंबू ने जब एक पतला पारदर्शी कागज़ निकाला और मसल हुए पौधों में से छोटे गोल आकार के बीज निकाल कर फेंके लगा। फिर उसमें थोड़ी-सी सिगरेट की निकटी हुई थी।

उसने अपना घुसपैकरणी की तरफ देखा। अपने घुसपैकरणी की तरफ देखा।

उसने अपना घुसपैकरणी की तरफ देखा। अपने घुसपैकरणी की तरफ देखा।

उसने अपना घुसपैकरणी की तरफ देखा। अपने घुसपैकरणी की तरफ देखा।

उसने अपना घुसपैकरणी की तरफ देखा। अपने घुसपैकरणी की तरफ देखा।

उसने अपना घुसपैकरणी की तरफ देखा। अपने घुसपैकरणी की तरफ देखा।

उसने अपना घुसपैकरणी की तरफ देखा। अपने घुसपैकरणी की तरफ देखा।

उसने अपना घुसपैकरणी की तरफ देखा। अपने घुसपैकरणी की तरफ देखा।

उसने अपना घुसपैकरणी की तरफ देखा। अपने घुसपैकरणी की तरफ देखा।

उसने अपना घुसपैकरणी की तरफ देखा। अपने घुसपैकरणी की तरफ देखा।

उसने अपना घुसपैकरणी की तरफ देखा। अपने घुसपैकरणी की तरफ देखा।

उसने अपना घुसपैकरणी की तरफ देखा। अपने घुसपैकरणी की तरफ देखा।

उसने अपना घुसपैकरणी की तरफ देखा। अपने घुसपैकरणी की तरफ देखा।

उसने अपना घुसपैकरणी की तरफ देखा। अपने घुसपैकरणी की तरफ देखा।

उसने अपना घुसपैकरणी की तरफ देखा। अपने घुसपैकरणी की तरफ देखा।

उसने अपना घुसपैकरणी की तरफ देखा। अपने घुसपैकरणी की तरफ देखा।

उसने अपना घुसपैकरणी की तरफ देखा। अपने घुसपैकरणी की तरफ देखा।

उसने अपना घुसपैकरणी की तरफ देखा। अपने घुसपैकरणी की तरफ देखा।

उसने अपना घुसपैकरणी की तरफ देखा। अपने घुसपैकरणी की तरफ देखा।

उसने अपना घुसपैकरणी की तरफ देखा। अपने घुसपैकरणी की तरफ देखा।

उसने अपना घुसपैकरणी की तरफ देखा। अपने घुसपैकरणी की तरफ देखा।

उसने अपना घुसपैकरणी की तरफ देखा। अपने घुसपैकरणी की तरफ देखा।

उसने अपना घुसपैकरणी की तरफ देखा। अपने घुसपैकरणी की तरफ देखा।

उसने अपना घुसपैकरणी की तरफ देखा। अपने घुसपैकरणी की तरफ देखा।

उसने अपना घुसपैकरणी की तरफ देखा। अपने घुसपैकरणी की तरफ देखा।

उसने अपना घुसपैकरणी की तरफ द

90 किमी प्रति घंटे का माइलेज देने वाली बाइक

ब जाज ने एंटी लेवल में अपनी पॉपुलर बाइक प्लेटिना का नया वर्जन लॉन्च किया है, जिसे बजाज प्लेटिना 100 ईएस (Platina 100 ES) नाम दिया गया है। इसमें 102 सीसी डीटीएसआई इंजन लगा है जो 8.2 बीएचपी का पावर और 12.75 एनएम का टार्क देते में सक्षम है। कंपनी का दावा है कि नई बजाज प्लेटिना ईएस 96.9 किलोमीटर प्रतिलीप्त का माइलेज देती है। 100 ईएस में नई हैंडलाइट, पेट स्क्रीन और नए डेकल आकर्षक ग्राफिक्स के साथ दिए गए हैं। इसके अनावा शीब रेल और सीट में भी बदलाव किया गया है। अलॉय व्हील और रीयर स्पर्सेन पहले वाले मॉडल की तरह भी है, लेकिन साइड इडिकेटर नए कलर में आए हैं। नई बजाज प्लेटिना 100 ईएस में इंजन भी पहले के मुकाबले ज्यादा पावर वाला दिया गया है। नई बजाज प्लेटिना 100 ईएस की कीमत लगभग 44,507 रुपये रखी गई है। ■



लैपटॉप और पीसी यूजर्स के लिए फ्री एंटी-वायरस

अ गर आप अपने कम्प्यूटर को जल्दी खराब होने से बचाने के लिए इस एंटी-वायरस से प्रोटेक्ट करना चाहिए। इसके लिए कई एंटी-वायरस ऐप्लीकेशन मौजूद हैं, जो आपके कम्प्यूटर को पूरी सुरक्षा देते हैं, लेकिन इनके दाम हजारों में होते हैं। वहीं, कम्प्यूटर को स्कैन करना भी जरूरी है और पैसे बचाना भी। ऐसे में, हम आपको 6 एंटी-वायरस लेकर आए हैं, जिससे आप अपने कम्प्यूटर को फ्री में पूरी सुरक्षा दे सकते हैं। इन्हें इन्स्टॉल और यूज करना भी बहुत आसान है। यह एंटी-वायरस इन्स्टॉल करने में बेहद आसान है। यह आपके कम्प्यूटर के परस्परमें से विनाअसर डाले पहले स्कैन में थोड़े को पकड़ लेता है और आपको मालवेयर से अपडेट करता रहता है। यह विंडो 8.7, विस्टा और एक्सप्री ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है। यह फ्री एंटी-वायरस कमीश्यूल एन्टी-वायरसमेंट के लिए नहीं है। अवार्स्ट



एंटी-वायरस में कई ऐसे फीचर्स हैं जो यूजर्स के काफी काम आ सकते हैं। इनमें से सॉफ्टवेयर अपडेटर यूजर्स को हमेसा प्रोग्राम को अपडेट करने के बारे में नोटिफिकेशन देता है। इसके अलावा, ड्राइवर कीनिनअप और ग्रिम फाइलर जैसे फीचर्स भी मौजूद हैं।

यह फ्री एंटी-वायरस सभी तरह के वायरस अटैक से आपको बचा सकता है। साथ ही, आपके डेटा को भी सुरक्षित रखता है। यह एंटी-वायरस एक ट्रूलार भी प्रोवाइडर करता है, जिसमें एंटी-फिल्टिंग ट्रूल, ऐड ब्लॉकर और सोशल नेटवर्किंग प्रोटोकॉल किट होता है। वैसे, इसका इंटरफेस समझने में थोड़ा मुश्किल है। अवीरा(avira) ने कुछ समय पहले avira Protection Cloud (PC) बनाया है, जो पीसी को पूरी तरह सिक्यूर करता है। यह एंटी-वायरस आपके पीसी को नुकसान पहुंचाने वाले वायरसों को ब्लॉक कर देता है। हैकर्स से पीसी को हाइड करता है। सोशल साइट से होने वाले हार्मो को स्कैन करता है। साथ ही, सभी प्रोग्राम्स को मॉनिटर भी करता है। वहीं, इसके फ्री वर्जन में एडवांस रियल टाइम एंटी-वायरस, कस्टमर सपोर्ट, पीसी ट्यून-अप और ड्राइवर प्रोटोक्शन नहीं हैं।

इस एंटीवायरस की मदद से फाइरवॉल प्रोटेक्शन और कुछ हद तक आपको प्रोटेक्शन मिल सकती है, लेकिन इस सॉफ्टवेयर पर पूरी तरह से भरोसा करना शायद ठीक ना हो।

यह एंटी-वायरस अच्छे फीचर्स के साथ आपको मिलता है, जैसे एंटी-वायरस इंजन, ई-मेल स्कैनर, थ्रेफ्ट प्रोटेक्शन और लिंक स्कैनर। ये सभी फीचर्स आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन सेफ रखते हैं। वीजी ने हाल ही में वीजी ज़ेन ट्रूल AVG Zen Tool रिलीज किया है। कंपनी का दावा है कि यह डेस्कटॉप और मोबाइल, दोनों को वायरस से पूरी तरह प्रोटेक्ट करेगा। कोई भी एंटी-वायरस आपको 100 प्रतिशत प्रोटेक्शन नहीं दे पाता, ऐसे में Emsisoft Emergency Kit परफेक्ट साबित हो सकता है। यह आपके पीसी को पहले से इन्स्टॉल एंटी-वायरस के साथ प्रोटेक्ट करेगा। इस एंटी-वायरस की खास बात है कि इसे पीसी में इन्स्टॉल नहीं करना पड़ता। यह पीसी को डायरेक्ट स्कैन करता है।

मालवेयर हटाने के लिए ये सॉफ्टवेयर डुअल स्कैनर का इस्तेमाल करता है। ये डिवाइस यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स (पेन ड्राइव और बाकी यूएसबी डिवाइसेस) के लिए बेहतर स्कैनिंग सॉफ्टवेयर बन सकता है। ■

एचटीसी ने ऑक्टा

कोर फोन लॉन्च

किया



ए चटीसी ने एक नया और सस्ता स्मार्टफोन 526जी+ पेश किया है जो ऑक्टा कोर प्रोसेसर से लैस है। यह एंड्रॉयड किटकैट पर आधारित है और डुअल सिम फोन है। इसका स्क्रीन 4.7 इंच का है जो 960 गुण 540 पिक्सल का रेजोल्यूशन देती है। यह एंड्रॉयड ऑक्टा कोर है। इसका प्रोसेसर 1.7 जीबीजी ड्रॉप्पे ऑक्टा कोर है। इसका ईम 1जीबी है और इसका इंटरनल स्टोरेज माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए 8जीबी या 16 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है। इसका रियर कैमरा 8 मेगापिक्सल है और 2 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। इसमें अन्य फीटर्स 3जी, वाई-फाई, जीपीएस, ब्लूटूथ 4.0 जैसी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। इसकी बैटरी 2000 एमएच की है। इसकी कीमत 10,400 रुपये (16जीबी), 11,400 रुपये (32जीबी) है। ■

आईबॉल का कई फीचर्स वाला नया फोन

आ

ईबॉल ने नया ऐडी 5क्यू कोबाल्ट सोलस स्मार्टफोन में ऑक्टा-कोर प्रोसेसर के साथ-साथ कई और अच्छे स्पेशिफिकेशन्स हैं। इसमें 1.4 गीगाहर्ट्ज ऑक्टा-कोर कार्ट्रेक्स-7 प्रोसेसर है। इस फोन में 2 जीबी रैम है। यह एक ड्यूल सिम फोन है जिसमें एंड्रॉयड 4.4 किटकैट ऑपरेटिंग सिस्टम है और 16 जीबी इंटरनल मेमोरी है जो माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से 32 जीबी तक बढ़ायी जा सकती है। इस फोन का डिस्प्ले ओजीसी टच के साथ-साथ 5 इंच की है जो 1280 गुणा 720 पिक्सल का रेजोल्यूशन देता है। इस स्मार्टफोन में 13 मेगापिक्सल ऑटो-फोटोकैमरा कैमरा का फोटो ऑप्शन, फेल ब्यूटी, पैनोरोमा मोड, फेस डिटेक्शन, स्माइल सॉट और वी कैमर फोटो मोड को सपोर्ट करता है। इस फोन की बैटरी 2250 एमएच की है। इसकी कीमत 11,999 रुपये है। ■



इसको एक्स104 के नाम से पुकारा जा रहा है, लेकिन कंपनी अभी इसको कोई नाम नहीं दिया है। कंपनी ने इसे रसीक लुक देने की कोशिश की है ताकि यह सभी को पसंद आए। इसके लिए रियर स्पेस को घटा दिया गया है। एक्स104 दरअसल इवोक के मिनी संस्करण जैसा दिखता है। ध्यान रहे कि इवोक रेंज रोवर का शानदार एसयूवी है जिसे विदेशों में बेचा जाता है और इसका स्वामित्व भी टाटा मोटर्स के पास है। यह एसयूवी उसी एस्टेटफॉर्म पर आधारित होती है जिस पर टाटा की नई कारें बाल्ट और जेस्ट हैं और कुछ चीजें उनसे भी ली गई हैं। इसके फ्लील को 17 इंच का बनाया गया है ताकि यह बड़ा दिखे। इस एसयूवी में टाटा का नया 1.5 लीटर बीजल मोटर लगाया जाएगा जिसके बारे में काफी बातें हो चुकी हैं। और माना जा रहा है कि 110 बीएचपी की शक्ति प्रदान करेगा। इसमें छह गियर होंगे ताकि यह ज्यादा पांचर है। एक्स104 दरअसल इवोक के मिनी संस्करण जैसा दिखता है।

टाटा मोटर्स की नई एसयूवी

ट टाटा मोटर्स एक ऐसा कॉम्पैक्ट एसयूवी पेश करने जा रही है जो लंबजी का दूसरा नाम होगा। इसकी छत और इसके बीचे खास आकर्षण होंगे। इसको एक्स104 के नाम से पुकारा जा रहा है, लेकिन कंपनी अभी इसको कोई नाम नहीं दिया है। कंपनी ने इसे रसीक लुक देने की कोशिश की है ताकि यह सभी को पसंद आए। इसके लिए रियर स्पेस को घटा दिया गया है। एक्स104 दरअसल इवोक के मिनी संस्करण जैसा दिखता है। ध्यान रहे कि इवोक रेंज रोवर का शानदार एसयूवी है जिसे विदेशों में बेचा जाता है और इसका स्वामित्व भी टाटा मोटर्स के पास है। यह एसयूवी उसी एस्टेटफॉर्म पर आधारित होती है जिस पर टाटा की नई कारें बाल्ट और जेस्ट हैं और कुछ चीजें उनसे भी ली गई हैं। इसके फ्लील को 17 इंच का बनाया गया है ताकि यह बड़ा दिखे। इस एसयूवी में टाटा का नया 1.5 लीटर बीजल मोटर लगाया जाएगा जिसके बारे में काफी बातें हो चुकी हैं। और माना जा रहा है कि 110 बीएचपी की शक्ति प्रदान करेगा। इसमें छह गियर होंगे ताकि यह ज्यादा पांचर है। एक्स104 दरअसल इवोक के मिनी संस्करण जैसा दिखता है।



विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

कम कीमत में बेहतर वायरलेस स्पीकर लॉ जिटेक ने हाल ही में एक्स 100 मॉडल के साथ एक्स300 मोबाइल वायरलेस स्पीकर लॉन्च किया। 360 ग्राम के वजन वाले इस डिवाइस का माप 2.7एक्स 5.9एक्स 2.8 इंच है। इसकी रेबडनुमा बॉडी पकड़ने में काफी सुविधाजनक है साथ ही इसमें लॉन्च बटन (वॉल्यूम रोकर और ब्लूटूथ) ऑपरेटर करने में काफी आसान है। पावर बटन इसके पीछे की ओर छुपा हुआ है और जब तक बटन दिखता है तब यह आपको इसे पकड़ने की सुविधा देता है। इस डिवाइस की जैसी तरह एक्स 300 मॉडल का रेबडनुमा बॉडी पकड़ने म

पेस अब तक 99 पुरुष और 24 महिला खिलाड़ियों के साथ जोड़ियां बना चुके हैं। महेश भूपति अब तक के उनके सबसे सफल साथी रहे हैं। साल 1996 में अटलांटा ओलंपिक में एकल कांस्य पदक जीतना उनके जीवन का सबसे अहम या कहें सर्वश्रेष्ठ पल है लेकिन उन्होंने अपने हार न मानने वाले जज्बे से पूरी पीढ़ी को अपना कायल बना लिया। पेस अपने 24 साल लंबे प्रोफेशनल टेनिस करियर में कुल 31 बार ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताओं के फाइनल में पहुंचे, जिसमें से 15 बार वह विजेता बनने में कामयाब हुए, जबकि 16 बार वह उपविजेता रहे। वह मिक्स डबल्स स्पर्धाओं में 15 बार ग्रैंड स्लैम फाइनल में पहुंचे हैं जिसमें 7 बार वह विजयी हुए और 8 बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा है।



वरीन चौहान

सा

ल 2015 की शुरुआत में चेन्नई ओपन के युगल स्पर्धा के फाइनल में हारने के बाद टेनिस स्टार लिएंडर पेस ने कहा था कि, मैं सर्वश्रेष्ठ हासिल करने के जज्बे से प्रेरित होता हूं। एक बैटे के रूप में, देशभक्त के रूप में, पिता के रूप में मैं सबसे बेहतर करने की कोशिश करता हूं। मैं इस भावना से आगे बढ़ता हूं कि हर दिन बेहतर हो सकता है, वह भी तब, जब मैं छह महीने बाद 42 साल का होने वाला हूं। जीवन में मुश्किल हालात हमेशा मौजूद रहते हैं, ऐसे में अहम यह है कि जीवन में अच्छी चीजों पर ध्यान लगाया जाए। अइचें आपके नियंत्रण से बाहर हैं लेकिन आप उसे उनका किस तरह सामना करते हैं यह महत्वपूर्ण है, उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया देते हैं, आप उनका कैसे सामना करते हैं यह मायने रखता है। नाराज होने, हताश होने का क्या फायदा, इससे कोई हल नहीं निकलने वाला। इस तरह की हर बात का जवाब अंत में मेरा रैकेट देता है। इसलिए निराश होने का कोई कारण नहीं है। इस बात को कहे पढ़ने दिन भी नहीं गुजर थे कि लिएंडर पेस ने मार्टीना हिंगिस के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलियन ओपन का मिक्स डबल्स का खिताब जीत लिया, और अपनी बात को सही साबित किया।

41 वर्षीय लिएंडर के करियर का यह 15 वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचने के बावजूद लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए खिताब जीतना अद्भुत है। गत 24 सालों से वह टेनिस कोर्ट पर खिताबी जीत के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। डाई दशक बाद भी खेल के प्रति उनके जज्बे में कोई बदलाव नहीं आया है। दिन-ब-दिन उनकी जीत की भूख बढ़ती जा रही है। साल 2013 में यूएस ओपन जीतने के बाद पेस ने कहा था कि उम्र तो महज एक आकड़ा है जिस पर मैं सिर्फ मुख्य करता हूं। मेरा सफर अभी थमा नहीं है। इस बार जीत के उन्होंने कहा कि बढ़ती उम्र का असर न तो उनके खेल पर पड़ा है, न ही जज्बे पर। यह बात इससे साबित होती है ऑस्ट्रेलियाई ओपन में इन दोनों की जोड़ी एक भी सेट नहीं हारी। पहले दौर का एक सेट ही टाई ब्रेकर तक गया। इसके बाद दोनों की जोड़ी लगातार आगे बढ़ती गई और खिताब हासिल कर लिया।

साल 2013 में यूएस ओपन का युगल खिताब जीतकर ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज पुरुष खिलाड़ी बनने वाले पेस ने इस बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का मिक्स डबल्स का खिताब जीतकर अपने रिकॉर्ड को और बेहतर कर दिया। पेस-हिंगिस की जोड़ी ने मेलबर्न में खेले गए फाइनल मुकाबले में फ्रिस्टीना और डेनियल नेस्टर की जोड़ी को सीधी सेटों में 6-4, 6-3 से मात दी। 41 वर्षीय लिएंडर के करियर का यह 15 वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचने के बावजूद लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए खिताब जीतना अद्भुत है। गत 24 सालों से वह टेनिस कोर्ट पर खिताबी जीत के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। डाई दशक बाद भी खेल के प्रति उनके जज्बे में कोई बदलाव नहीं आया है और न ही उनके जीत के जुनून में कमी आई है। दिन-ब-दिन उनकी जीत की भूख बढ़ती जा रही है। साल 2013 में यूएस ओपन जीतने के बाद पेस ने कहा था कि उम्र तो महज एक आकड़ा है।



जिस पर मैं सिर्फ मुख्य करता हूं। मेरा सफर अभी थमा नहीं है। इस बार जीत के उन्होंने कहा कि बढ़ती उम्र का असर न तो उनके खेल पर पड़ा है, न ही जज्बे पर। यह बात इससे साबित होती है ऑस्ट्रेलियाई ओपन में इन दोनों की जोड़ी एक भी सेट नहीं हारी। पहले दौर का एक सेट ही टाई ब्रेकर तक गया। इसके बाद दोनों की जोड़ी लगातार आगे बढ़ती गई और खिताब हासिल कर लिया।

पेस ने 1991 पेशेवर टेनिस खेलना शुरू किया था। उस वर्ष वह वह विबल्डन और यूएस ओपन का यूनियर रैंकिंग में पहले नंबर बनाकर अपने कांस्य पदक के रूप में जीता था। इसके बाद उन्होंने फ्रिस्टीना और डेनियल नेस्टर की जोड़ी से अपनी कार्यकालीन टेनिस करियर का उद्घाटन किया। 1999 में महेश भूपति के साथ फ्रेंच ओपन के रूप में जीता था। इसके बाद उन्होंने फ्रिस्टीना की जोड़ी से अपनी कार्यकालीन टेनिस करियर का उद्घाटन किया। हालांकि, इससे पहले पेस ऑलिंपिक में एकल कांस्य पदक की जीत कर चुके थे। एकल स्पर्धाओं में वह सफल नहीं हुए। इसलिए उन्होंने युगल मुकाबलों की तरफ रुक किया और हम वर्तन महेश भूपति के साथ युगल स्पर्धाओं में भाग लेना

उम्र की सीमाओं से परे लिएंडर पेस




पेस नवरातिलोवा के साथ साल 2003-2005 के बीच चार ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचे थे, जिसमें से 2003 में विबल्डन और ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीतने में यह जोड़ी सफल हुई थी। उसी अनुभव के आधार पर नवरातिलोवा ने हिंगिस को पेस के साथ जोड़ी बनाने की सलाह दी होगी। खिताबी जीत के बाद हिंगिस ने पेस की तारीफ की और कहा कि मार्टीना (नवरातिलोवा), लिएंडर को मुझे देने कि लिए शुक्रिया। मुझे लगता है कि हर मैच के साथ हम मजबूत होते गए। मनोबल, टीम वर्क, एक दूसरे के सुझाव हमारे काम आए। हम एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। शायद यही हर मैच में अहम कही थी।

शुरू किया। इन दोनों की जोड़ी बहुव सफल रही। दोनों की जोड़ी को दुनिया भर में इंडियन एक्सप्रेस के नाम जाना जाने लगा। इस जोड़ी ने 6 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते। इंडियन एक्सप्रेस के पटरी से उत्तर जाने यानी कि दोनों के अलग हो जाने के बाद भी पेस के खेल में बदलाव नहीं आया। वह लगातार जीत हासिल करते रहे। पेस अब तक 99 पुरुष और 24 महिला खिलाड़ियों के साथ जोड़ी बना चुके हैं। महेश भूपति अब तक के उनके सबसे सफल सफल टेनिस करियर में कुल 31 बार ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताओं के फाइनल में पहुंचे, जिसमें से 15 बार वह विजेता बनने में कामयाब हुए, जबकि 16 बार वह उपविजेता रहे। वह मिक्स डबल्स स्पर्धाओं में 15 बार ग्रैंड स्लैम फाइनल में पहुंचे हैं जिसमें 7 बार वह विजयी हुए और 8 बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। यह पेस का सातवां मिक्स डबल्स और करियर का तीसरा ऑस्ट्रेलियन ओपन मिक्स डबल्स खिताब है। पेस करियर में तीन बार ऑस्ट्रेलियन ओपन, तीन बार विबल्डन और एक बार यूएस ओपन मिक्स डबल्स खिताब की जीत करते हैं। मिक्स डबल्स खिताब का करियर स्लैम पूरा करने के लिए केवल फ्रेंच ओपन जीतना बाकी है। यदि वह ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो यह उपलब्धि उनके करियर में चार चांद लगा देगी। पुरुष युगल का करियर ग्रैंड स्लैम वर्ष 2012 में ऑस्ट्रेलियाई ओपन जीतकर पूरा कर सकते हैं। उन्होंने करियर में एक ऑस्ट्रेलियन ओपन, तीन फ्रेंच ओपन, एक विबल्डन और तीन बार यूगल खिताब जीती है।

पेस-हिंगिस की जोड़ी की प्रतियोगिता में सातवीं वरीयता दी गई थी। लेकिन यह जोड़ी विजयी बनकर निकली। पेस पिछले कुछ समय से पारिवारिक समस्याओं से ज़ूँझ रहे हैं। उन्होंने इसका असर अपने खेल पर पड़ने नहीं दिया। वह कुछ समय खेल के मैदान से दूर रहे लेकिन जब वह कोर्ट पर वापस लौटे तो धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए खिताब पर कब्जा कर लिया। ऑस्ट्रेलियन ओपन से पहले चेन्नई ओपन में वह दृष्टिकोण अक्रीड़ा के रावेन वलासेन के साथ उपविजेता रहे थे। बढ़ती उम्र का असर उनके खेल पर करती नज़र नहीं आ रहा है। उम्र के इस पड़ाव पर इस तरह की उपलब्धि केवल शारीरिक सुदृढ़ता के साथ-साथ मानसिक दृढ़ता भी ज़स्ती होती है। बढ़ती उम्र के साथ खिलाड़ियों को थका हुआ मान लिया जाता है। लेकिन पेस अपने अनुभव का फायदा उठा रहे हैं। उन्हें 20 साल से टेनिस कोर्ट पर जलवा खिलारहे रही हैं। वह कुछ समय खेल के मैदान से दूर रहे लेकिन जब वह कोर्ट पर वापस लौटे तो धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए खिताब पर कब्जा कर लिया। ऑस्ट्रेलियन ओपन से पहले चेन्नई ओपन में वह दृष्टिकोण अक्रीड़ा के रावेन वलासेन के साथ उपलब्धि के साथ साल 2003-2005 के बीच चार ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचे थे, जिसमें से विबल्डन और ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीतने में यह जोड़ी सफल हुई थी। उसी अनुभव के आधार पर नवरातिलोवा ने हिंगिस को पेस के साथ जोड़ी बनाने की सलाह दी होगी। खिताबी जीत के बाद हिंगिस ने पेस की तारीफ की और कहा कि मार्टीना (नवरातिलोवा), लिएंडर को मुझे देने कि लिए शुक्रिया। मुझे लगता है कि हर मैच के साथ हम मजबूत होते गए। मनोबल, टीम वर्क, एक दूसरे के सुझाव हमारे काम आए। हम एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। शायद यही हर मैच में अहम कही थी। उनकी बातों से तो यही जाहिर होता है कि पेस को खुद पर जितना भरोसा है उससे ज्यादा भरोसा उनके साथी या प्रतिवर

बॉलीवुड खबरे


हार्वर्ड में पीके



आमिर खान की फिल्म पीके ने बॉक्स ऑफिस ही नहीं, बल्कि दुनिया में धाक जमा रही है। इस फिल्म ने दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित बिजनेस स्कूल हार्वर्ड में भी इंका बजा दिया है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान को पीके पर लेकर देने के लिए निमंत्रण भेजा है। आमिर ने हार्वर्ड

का न्योटा स्वीकार कर लिया है। हालांकि अभी लेकर की तारीख सुनिश्चित नहीं हुई है। आमिर हार्वर्ड के स्टूडेंट्स के साथ पीके में उनके गोल और तैयारियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। पिछले साल दिसंबर में रिलीज हुई ने बॉक्स पर कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। राजकुमार हिंदूनी के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने केवल भारत में 340 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। फिल्म विवाद की वजह से भी सुर्खियों में आई थी।■

विक्की डोनर के लिये पहली पसंद नहीं थे आयुष्मान खुराना



आयुष्मान ने अपने इन अनुभवों को अपनी किताब क्रैकिंग द कोड में साझा किया है। आयुष्मान ने लिखा है कि इमरान खान और सोनम कपूर की आई हेट लव स्टोरी में जब उन्हें सहायक भूमिका नहीं मिली तो उनका दिल टूट गया था।

आयुष्मान खुराना का कहना है कि मुपरहित फिल्म विक्की डोनर के लिये वह पहली पसंद नहीं थे। आयुष्मान खुराना ने वर्ष 2012 में प्रदर्शित फिल्म विक्की डोनर से बॉलीवुड में अपने करियर की शुरूआत की थी। आयुष्मान का कहना है कि वह विक्की डोनर के लिये पहली पसंद नहीं थे और तब वह बॉलीवुड में पीके की तलाश में थे। आयुष्मान ने अपने इन अनुभवों को अपनी किताब क्रैकिंग द कोड में साझा किया है। आयुष्मान ने लिखा है कि इमरान खान और सोनम कपूर की आई हेट लव स्टोरी में जब उन्हें सहायक भूमिका नहीं मिली तो उनका दिल टूट गया था। आयुष्मान ने कहा कि विक्की डोनर के लिये वह पहली पसंद नहीं थे। आयुष्मान ने कहा कि विक्की डोनर को लिये वह पहली पसंद नहीं थे। आयुष्मान ने कहा कि विक्की डोनर को प्रोड्यूस करना और उसमें अभिनय करना चाहते थे, उन्हें लगभग सातान भी कर लिया गया था लेकिन उनके दिल टूट गया था। इसके बाद शरमन जोशी को ऑफर दिया गया, लेकिन उनके दिल के बाद वह फिल्म मुझे मिली थी।■


रणबीर इस दौर के सबसे काबिल
अभिनेता: रणधीर कपूर



गुजरे जमाने के मशहूर अभिनेता रणधीर कपूर का कहना है कि उनके भतीजे रणबीर कपूर आज के दौर के सबसे काबिल अभिनेता हैं। रणबीर उनके छोटे भाई ऋषि के पुत्र हैं। रणधीर ने कहा कि रणबीर एक काबिल अभिनेता हैं और मौजूदा पीढ़ी के मेरे सबसे पसंदीदा अभिनेताओं में से एक हैं। उन्होंने कहा कि रणबीर बेहद अंगीर कलाकार हैं, वह अच्छा काम कर रहा है और अच्छी फिल्मों का चयन कर रहा है। रणबीर की हालिया रिलीज हुई फिल्म रेय है। इस फिल्म में उनके अभिनय की तारीफ हो रही है। इस फिल्म में वह एक अलग लुक में नज़र आए हैं।■

फिर नज़र आएगी
शाहरुख-काजोल की जोड़ी

बॉ लीवुड की सबसे सफल जोड़ियों में से एक शाहरुख और काजोल की जोड़ी एक बार पिछे नज़र आने वाली है। इस बार दोनों एक साथ रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनने वाली फिल्म में नज़र आयेंगे। हालांकि रोहित ने इस फिल्म के बारे में चुप्पी साथ रखी है। शाहरुख काजोल की जोड़ी अबतक फिल्म बाज़ीगर, करण-अर्जुन, दिलवाले दुल्हनिया ले जायेंगे, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी, कभी गम जैसी सुपर हिट फिल्मों में नज़र आ चुकी है। शाहरुख-काजोल की जोड़ी बॉलीवुड में सफलता की गारीबी मानी जाती है। रोहित ने इन दोनों को फिल्म में लिए जाने के सवाल पर कहा कि इस समय मुझे लगता है कि मुझे छोड़कर सभी लोग मेरी फिल्म के लिए कलाकार चुनने में जुटे हैं और अपनी राय दे रहे हैं, मैं इन्तजार कर रहा हूं और मँज़े ले रहा हूं।■



कंगना के घर पहुंची ऐखा

3H कंगना के फिल्म क्वीन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था।

3H

भिनेत्री कंगना रानावत उस वक्त हैरान हो गई, जब रात के तीन बजे किसी ने उनके घर का दरवाजा खटखटाया। कंगना ने जब दरवाजा खोला तो उनके सामने रेखा खड़ी थीं। उह सामने खड़ा देख कंगना स्वतंत्र रह गई। लेकिन जब रेखा ने उन्हें देर रात घर आने का कारण बताया तो उनकी खुशी का टिकाना नहीं रहा। दरअसल रेखा उस वक्त फिल्म फेयर समारोह से लैटीं थीं। उस समारोह में कंगना को फिल्म क्वीन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था। कंगना उस समारोह में उपस्थित नहीं थीं, इस वजह से उनकी जगह पुरस्कार लेने स्टेज पर रेखा पहुंचीं। इसके बाद वह ब्लैक लेडी को कंगना को सुपुर्व करने पहुंच गई। ट्रॉफी लेने के बाद कंगना ने कहा कि पहले तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे यह पुरस्कार मिलेगा। इसलिए मैं अवार्ड फंक्शन में नहीं गई थीं। लेकिन उन्हें घर पर भी वह अवार्ड रेखा जी के हाथों से मिला इस लिए वह बहुत खुश हैं।■

अमृता राव ने
शादी रचाई

3H अमृता राव विवाह बंधन में बंध गई हैं, अमृता ने आरजे अनमोल को अपना जीवन साथी चुना है। अनमोल रेडियो की दुनिया का जाना-माना नाम हैं।

फिलहाल वह एक स्पॉटस्ट्रैचैनल के लिए शो करते हैं। अमृता पिछले दो सालों से सिल्वर स्क्रीन पर नज़र नहीं आई हैं। वह आखिरी बार फिल्मों में साल 2013 में फिल्म सत्याग्रह और सिंह साब ग्रेट में नज़र आई थीं। कुछ समय पहले अमृता एक इवेंट में अंगूठी पहने पहुंची थीं, इसके बाद अटकले लगाई जा रही थी कि उन्होंने सगाई कर ली है। इस बात को और हवा तब मिल गई जब वह मुंबई के सांताकूल स्थित एक निर्सिंग होम में देखी गई, उस वक्त अनमोल वहां भर्ती थे। इसके बाद उन्होंने मुंबई में एक निजि समारोह में अनमोल से शादी कर ली। अपने रिश्तों को हमेशा मीडिया की ज़रूरी से दूर रखने वाली अमृता शादी के बाद अनमोल के साथ मुंबई के वकोला रिश्त अपने घर में रह रही हैं। यह घर अनमोल के घर के करीब है जहां उनका परिवार रहता है। इससे पहले अमृता वर्सोवा में अपने परिवार के साथ रहती थीं। अब अमृता वकोला प्रीतिका राव के आने के बाद अमृता भी छोटे परदे की ओर रुक कर सकती हैं। फिलहाल उनके पास बॉलीवुड में कोई काम नहीं है।■



अपने रिश्तों को
हमेशा मीडिया की
नज़रों से दूर
रखने वाली अमृता
शादी के बाद
अनमोल के साथ
मुंबई के वकोला
स्थित अपने घर में
रह रही हैं। यह
घर अनमोल के
घर के करीब है
जहां उनका
परिवार रहता है।



गुजरे जमाने के मशहूर अभिनेता रणधीर कपूर का कहना है कि उनके भतीजे रणबीर कपूर आज के दौर के सबसे काबिल अभिनेता हैं। रणबीर उनके छोटे भाई ऋषि के पुत्र हैं। रणधीर ने कहा कि रणबीर एक काबिल अभिनेता हैं और मौजूदा पीढ़ी के मेरे सबसे पसंदीदा अभिनेताओं में से एक हैं। उन्होंने कहा कि रणबीर बेहद अंगीर कलाकार हैं, वह अच्छा काम कर रहा है और अच्छी फिल्मों का चयन कर रहा है। रणबीर की हालिया रिलीज हुई फिल्म रेय है। इस फिल्म में उनके अभिनय की तारीफ हो रही है। इस फिल्म में वह एक अलग लुक में नज़र आए हैं।■

चौथी दिनरात्रि

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख्खबार

16 फरवरी-22 फरवरी 2015

बिहार
ज्ञारखंड

प्राईम गोल्ड
PRIME GOLD 500
Fe-500+
टी.एम.टी. हुआ पुणा !
टी.एम.टी.500+
का अब आया जगला!
सिर्फ टील नहीं, प्योर टील
MFG : CITY ROLLING MILLS PVT. LTD. PATNA
उत्कृष्ट गुणवत्ता एवं शैली के लिए संभव करें : 0612-2216770, 2216771, 8405800214

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467



9 लाख में
2 BHK
FLAT
वह भी मात्र 18,000/- की 36 किश्तों में
*Rates may vary project & state wise.



अंतर्राष्ट्रीय क्वालिटी फिर भी भारत में सबसे किफायती

1 Builder • 9 States • 58 Cities • 104 Projects

- स्ट्रिंग पूल • शॉपिंग सेंटर
- 24x7 बिजली, पानी एवं सुरक्षा

www.vastuvihar.org

Customer Care : 080 10 222222



शक्तिकी कराएँगे महाभारत



नीतीश खेमे की ओर से हो रहे हमलों से जीतन राम मांझी को बचाने के लिए जो सबसे पहला और मजबूत धेरा तैयार किया गया है उसमें शकुनी चौधरी, शिवानंद तिवारी, नरेंद्र सिंह, वृषभ पटेल, महाचंद्र सिंह और जगन्नाथ मिश्रा शामिल हैं। यही कोर टीम है जो सीएम पर हो रहे हमलों से बचाव और आगे की रणनीति की दिशा और दशा तय कर रही है। सीएम से उनके करीबी संपर्क में रहते हैं और समय-समय पर उनसे उपयोगी परामर्श भी करते हैं। सीएम की राजनीतिक सुरक्षा के दूसरे धेरे में ज्ञानेंद्र कुमार ज्ञान, राहुल शर्मा, अजीत सिंह के अलावा अन्य वैसे मंत्रियों से बेहद नाराज हैं। स्त्रों पर भरोसा करें तो यह कहा जा सकता है कि आगे कुछ मंत्रियों ने जीतन राम मांझी को कठघोरे में खड़ा करके काम बंद नहीं किया जा उन्हें मंत्रिपरिषद से बखारांत भी किया जा सकता है। इसमें ललन सिंह, पी के शाही और श्रण कुमार का नाम सबसे पहली पायदान पर है। शकुनी चौधरी बिहार के चुनावी महाभारत की जीत उपर ही है। सीएम से उन्हें जीतन राम मांझी को कई राजनीतिक हृदयांसे से लैश किया जा रहा है। महाभारत के शंखनाद के पहले जीतन राम मांझी को इतना यज्ञवृत्त कर देने की कोशिश है कि वह जिधर भी रहें जीत उपर ही हो। पिछड़ों से जीतन राम मांझी को शकुनी चौधरी के पक्ष में तीर चलाने वाले योद्धाओं में शकुनी चौधरी अकेले दीर्घी हैं। जैसे-जैसे मंत्री यज्ञवृत्त हो रहे हैं इनके गांडीव के पीछे वीरों की एक लंबी कतार दिखाई पड़ने लगी है।



और जगन्नाथ मिश्रा शामिल हैं। यही कोर टीम है जो सीएम पर हो रहे हमले से बचाव और आगे की रणनीति की दिशा और दशा तय कर रही है। सीएम से उनके करीबी संपर्क में रहते हैं और समय-समय पर उनसे उपयोगी परामर्श भी करते हैं। सीएम की राजनीतिक सुरक्षा के दूसरे धेरे में ज्ञानेंद्र कुमार ज्ञान, राहुल शर्मा, अजीत सिंह के अलावा अन्य वैसे मंत्री और विधायक हैं जो नीतीश कुमार के क्रियाकलापों से बेहद नाराज हैं। स्त्रों पर भरोसा करें तो यह कहा जा सकता है कि आगे कुछ मंत्रियों ने जीतन राम मांझी को कठघोरे में खड़ा करके काम बंद नहीं किया जा उन्हें मंत्रिपरिषद से बखारांत भी किया जा सकता है। इसमें ललन सिंह, पी के शाही और श्रण कुमार का नाम सबसे पहली पायदान पर है। शकुनी चौधरी बिहार के चुनावी महाभारत की जीत उपर ही है। सीएम से उन्हें जीतन राम मांझी को कई राजनीतिक हृदयांसे से लैश किया जा रहा है। महाभारत के शंखनाद के पहले जीतन राम मांझी को इतना यज्ञवृत्त कर देने की कोशिश है कि वह जिधर भी रहें जीत उपर ही हो। पिछड़ों से जीतन राम मांझी को शकुनी चौधरी के पक्ष में तीर चलाने वाले योद्धाओं में शकुनी चौधरी अकेले दीर्घी हैं। जैसे-जैसे मंत्री यज्ञवृत्त हो रहे हैं इनके गांडीव के पीछे वीरों की एक लंबी कतार दिखाई पड़ने लगी है। मंत्री नरेंद्र सिंह और वृषभ पटेल जीतन राम मांझी के लिए खुलकर तीर चला रहे हैं। नरेंद्र सिंह कहते हैं कि सीएम को हटाने या कमज़ोर करने से गलत संदेश जाएगा और इसका नुकसान पार्टी को चुनाव में हो सकता है। जानकार सूत्र बताते हैं कि नीतीश कुमार खुले खुले दिलचस्पी ले रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार अब शकुनी चौधरी की सलाह पर सारांश की भूमिका में रहते हैं या पिछे खुद गांडीव उठाकर महाभारत की लड़ाई में कूदेंगे।



बिहार में इस साल होने वाले चुनावी महाभारत के लिए रामाधीप को शकुनी चौधरी, शिवानंद तिवारी, नरेंद्र सिंह, वृषभ पटेल, महाचंद्र सिंह और जगन्नाथ मिश्रा शामिल हैं। यही कोर टीम है जो सीएम पर हो रहे हमले से बचाव और आगे की रणनीति की दिशा और दशा तय कर रही है। सीएम से उनके करीबी संपर्क में रहते हैं और समय-समय पर उनसे उपयोगी परामर्श भी करते हैं। सीएम की राजनीतिक सुरक्षा के दूसरे धेरे में ज्ञानेंद्र कुमार ज्ञान, राहुल शर्मा, अजीत सिंह के अलावा अन्य वैसे मंत्री और विधायक हैं जो नीतीश कुमार के क्रियाकलापों से बेहद नाराज हैं। स्त्रों पर भरोसा करें तो यह कहा जा सकता है कि आगे कुछ मंत्रियों ने जीतन राम मांझी को कठघोरे में खड़ा करके काम बंद नहीं किया जा उन्हें मंत्रिपरिषद से बखारांत भी किया जा सकता है। इसमें ललन सिंह, पी के शाही और श्रण कुमार का नाम सबसे पहली पायदान पर है। शकुनी चौधरी बिहार के चुनावी महाभारत की जीत उपर ही है। सीएम से उन्हें जीतन राम मांझी को कई राजनीतिक हृदयांसे से लैश किया जा रहा है। महाभारत के शंखनाद के पहले जीतन राम मांझी को इतना यज्ञवृत्त कर देने की कोशिश है कि वह जिधर भी रहें जीत उपर ही हो। पिछड़ों से जीतन राम मांझी को शकुनी चौधरी के पक्ष में तीर चलाने वाले योद्धाओं में शकुनी चौधरी अकेले दीर्घी हैं। जैसे-जैसे मंत्री यज्ञवृत्त हो रहे हैं इनके गांडीव के पीछे वीरों की एक लंबी कतार दिखाई पड़ने लगी है। मंत्री नरेंद्र सिंह और वृषभ पटेल जीतन राम मांझी के लिए खुलकर तीर चला रहे हैं। नरेंद्र सिंह कहते हैं कि सीएम को हटाने या कमज़ोर करने से गलत संदेश जाएगा और इसका नुकसान पार्टी को चुनाव में हो सकता है। जानकार सूत्र बताते हैं कि नीतीश कुमार खुले खुले दिलचस्पी ले रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार अब शकुनी चौधरी की सलाह पर सारांश की भूमिका में रहते हैं या पिछे खुद गांडीव उठाकर महाभारत की लड़ाई में कूदेंगे।

अब यह पूरी तरह साफ हो गया है कि सूबे


























feedback@chauthiduniya.com

एक बड़ा ज़रूर

स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन



धार्मि कुमारी से की मुलाकात





सीतामढ़ी



नीलामी विभाग के हवाले से बताया गया कि दुकानदार राजेंद्र प्रसाद, अहमदी खातून, अरुण कुमार गुप्ता, विजय कुमार गुप्ता, विदेशवर प्रसाद गुप्ता, डॉ बीएन वसू, रघुनाथ, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, ओम प्रकाश खेतान, विनोद कुमार सिन्हा, लक्ष्मी साह, अजीत कुमार वर्मा, उपेंद्र राय, अरविंद कुमार श्रीवास्तव, राम करण महतो, राम औतार साह, अशोक कुमार गुप्ता व दया शंकर प्रसाद समेत कुल 40 दुकानदार शामिल हैं, जिन पर करीब 2 करोड़ से अधिक किराया मद का बकाया है।

खास महाल की जमीन पर कब्जे की होड़

सीतामढ़ी जिले में भी वैसे तो सरकारी फरमान के आलोक में विकास कार्यों का कार्यान्वयन होता रहता है। परंतु कुछ ऐसे भी मामले हैं जिन पर प्रशासनिक निर्देश और सरकारी आदेशों का कोई मतलब नहीं रह गया है। मामला शहर में सरकारी जमीन के अतिक्रमण का हो अथवा नासी नाला की जमीन के अतिक्रमण का। सरकारी आदेश व प्रशासनिक निर्देशों के बाद भी इससे संबंधित फाइलें सालों से विभागीय कार्यालयों में धूल फांक रही हैं। इस पर नजर डालने का बक्त जिले के आलाधिकारियों के पास नहीं रह गया है। फिलहाल सीतामढ़ी में खास महाल की जमीन सरकारी व प्रशासनिक उदासीनता की भेट चढ़ती जा रही है। सरकारी जमीन के लीज के निर्धारित समय सीमा पार कर जाने के बाद भी न तो इस जमीन पर सरकार की नजर जा रही है और न ही जिला प्रशासन लीजधारियों की मनमानी पर अंकुश लगाने में सफल हो पा रहा है। कारण कि खास महाल की कीमती जमीन पर कददावर लोगों का कब्जा है।

वाल्मीकि कुमार

Hट्टचार के सफाये और कानून का राज स्थापित करने को लेकर सरकारी स्तर पर चाहे जितनी भी ढंगे हांस ली जाएं, परंतु जमीनी सच्चाई से इसका कोई लेना-देना नहीं रह गया है। अगर सरकार प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन को छोड़ दिया जाये तो सरकार के प्रशासनिक तंत्र की उपलब्धि को तलाश पाना आसान नहीं है। वर्तमान में प्रशासनिक महकमे की नज़र केवल वैसे ही स्थान पर जाकर अटकड़ी नज़र आ रही है, जहां से कुछ 'आसार' की गुजाइश होती है। सड़क, नाला, पुल-पुलिया के निर्माण के अलावा इनकी नजर व्यवस्थ के दूसरे कोने तक पहुंच ही नहीं पा रही है। कमीशनख-री और अष्ट्राचार के खात्मे को लेकर सरकारी और प्रशासनिक स्तर पर वारे तो किये जाते हैं, लेकिन सरकारी कार्यालयों में दबी फाइलों से धूल हटाने का प्रयास शायद ही किया जाता है। नतीजा है कि कोई भी एक काम सही तरीका से समस्या हो पाना मुश्किल बना है।

सीतामढ़ी जिले में भी वैसे तो सरकारी फरमान के आलोक में विकास कार्यों का कार्यान्वयन होता रहता है। परंतु कुछ ऐसे भी मामले हैं जिन पर प्रशासनिक निर्देश और सरकारी आदेशों का कोई मतलब नहीं रह गया है। मामला शहर में सरकारी जमीन के अतिक्रमण का हो अथवा नासी नाला की जमीन के अतिक्रमण का। सरकारी आदेश व प्रशासनिक निर्देशों के बाद भी इससे संबंधित फाइलें सालों से विभागीय कार्यालयों में धूल फांक रही हैं। इस पर नजर डालने का बक्त जिले के आलाधिकारियों के पास नहीं रह गया है। फिलहाल सीतामढ़ी में खास महाल की जमीन सरकारी व प्रशासनिक उदासीनता की भेट चढ़ती जा रही है। सरकारी जमीन के लीज के निर्धारित समय सीमा पार कर जाने के बाद भी न तो इस जमीन पर सरकार की नजर जा रही है और न ही जिला प्रशासन लीजधारियों की मनमानी पर अंकुश लगाने में सफल हो पा रहा है। कारण कि खास महाल की कीमती जमीन पर कददावर लोगों का कब्जा है। मकान निर्माण के लिए दी गयी जमीन हो अथवा दुकान की। सभी जगह हाल समान है। नतीजा है कि लीजधारी मालामाल तो सरकारी राजस्व का गोलमाल व्यापक स्तर पर किया जा रहा है। इस संबंध में स्थानीय समाचार पत्रों में किस्त दर किस्त खबरें प्रकाशित होती रही हैं, लेकिन मामला जांच से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अंदराजा लगाया जा रहा है कि तकरीबन साढ़े चार दशक पूर्व लीज अवधि समाप्त हो चुकी है। लीज की अवधि 30 वर्षों अंदर लीजधारियों को आवास निर्धारित की गयी थी। बताया गया है कि इनमें अधिकांश लीजधारियों को आवास निर्धारित की गयी थी, वह देहांत हो चुका है, परंतु उक्त लीजन पर लीजधारियों के परिजनों का दखल है। इनमें कई राजनीतिक हस्ती व अन्य कददावर लोग शामिल हैं। खास महाल के

डीएम डॉ. प्रतिमा के निर्देश पर खास महाल के प्रभारी अधिकारी सह भूमि सुधार उप समाहर्ता संदीप कुमार ने डुमरा में खास महाल का आवासीय क्षेत्र का सर्वेक्षण शुरू कराया था। डुमरा शंकर चौक के निकट स्थित काली मंदिर से लेकर बागमती परिसरदन तक खास महाल का क्षेत्र फैला है। खबरों के मुताबिक तकरीबन एक दशक पूर्व डुमरा अंचलाधिकारी, अंचल निरीक्षक, राजस्व कर्मचारी व अंचल अमीन द्वारा खास महाल के आवासीय क्षेत्र की सर्वेक्षण सूची जिला प्रशासन को सौंपी गई थी। जिसमें कुल 108 लीजधारियों का नाम शामिल था। जिनकी लीज की अवधि अब समाप्त हो चुकी है। सूची लीज के अनुसार अधिकांश लीजधारियों ने अपने

प्रभारी उप समाहर्ता संदीप कुमार ने पत्रकारों को बताया था कि खास महाल आवासीय क्षेत्र की भूमि को किराये पर देना अवैध है। लीजधारियों से लीज की जमीन का मूल कागजात मांगा जा रहा है।

अब एक नजर सीतामढ़ी शहर में मौजूद खास महाल की जमीन पर भी डाली जाए। नगर के बाटा गली के समीप से लेकर किरण चौक व निरीक्षक, राजस्व कर्मचारी व अंचल अमीन द्वारा खास महाल की वर्तमान स्थिति की जमीन है। बताया जाता है कि श्री राधा कृष्ण गोवरका कॉलेज परिसर में पड़ने वाली खास महाल की इस जमीन पर कुल 133 दुकाने हैं। इनमें अधिकांश लीजधारी दुकानदारों द्वारा सालों से किये का भुगतान नहीं किया गया है। पिछले

दूसरे फरवरी के बताया था कि खास महाल बहाने के बहाने हो रही लूट पर रोक आवश्यक है। खास महाल के जमीन की सीमिक्षा आवश्यक है। जिला प्रशासन को दुकानदारों की बात को सुन कर सार्थक राता निकलना चाहिए। अगर कोई अपनी मर्जी से जाना चाहता है तो उसके बगल वाले दुकानदार को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, अगर नहीं तो नये लोगों को उक्त स्थान पर मौका दिया जाना चाहिए। चल रही कथित खरीद-विक्री पर रोक आवश्यक है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विमल शर्मा का कहना है कि अधिकांश लीजधारी कानून की धर्जियां डाल रहे हैं।

आवासीय लीज की जमीन को व्यवसायिक बनाने के लिए विवासीय लीज की व्यवसायिक बनाने के आलाधिकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इस मामले में राज्य सरकार व जिला प्रशासन ने चुप्पी साधी है। भाकपा जिला सचिव जय प्रकाश राय का कहना है कि खास महाल की जमीन की वर्तमान स्थिति के लिए जिला प्रशासन को दोषी है। खास महाल की जमीन की बंदोबस्ती नये बाजार दर पर की जानी चाहिए। सरकारी फंड से गरीबों के हाथों से निर्माण कराया जाना चाहिए। धनवानों के हाथों से अविलंब खास महाल की जमीन वापस नहीं लिये जाने पर जिला प्रशासन के खिलाफ अंदेलन की चेतावनी दी है। लोजपा नेता सवीह अहमद का कहना है कि खास महाल की जमीन में व्यापक स्तर पर हेरा-फेरी की जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार व जिला प्रशासन समान रूप से दोषी हैं। पुराने लीजधारी की लीज की अवधि समाप्त होने की स्थिति में नयी दर पर नये लोगों को मौका दिया जाना चाहिए। जिला जदू उपाध्यक्ष सज्जन कुमार सुंदरका का कहना है कि खास महाल की जमीन में व्यापक स्तर पर रोहा-फेरी की जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार व जिला प्रशासन समान रूप से दोषी हैं। पुराने लीजधारी की लीज की अवधि समाप्त होने की स्थिति में नयी दर पर नये लोगों को दिया जाना चाहिए। जिला जदू उपाध्यक्ष सज्जन कुमार सुंदरका का कहना है कि खास महाल की जमीन के लिए लोगों के हाथों से उपयोग करने वालों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। पूर्व के लीजधारियों की जाच कर खास महाल की जमीन पर गरीबों के लिए कॉलोनी का निर्माण कराया जाना चाहिए।

आवासीय लीज की जमीन को व्यवसायिक बना कर सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इस मामले में राज्य सरकार व जिला प्रशासन ने चुप्पी साधी है। भाकपा जिला सचिव जय प्रकाश राय का कहना है कि खास महाल की जमीन की वर्तमान स्थिति के लिए जिला प्रशासन दोषी है। खास महाल की जमीन की बंदोबस्ती नये बाजार दर पर की जानी चाहिए। सरकारी फंड से गरीबों के लिए कॉलोनी का निर्माण कराया जाना चाहिए।



आवासीय क्षेत्र की जमीन को किराये पर लगा दिया है। साथ ही 11 लोगों ने लीज की जमीन का अतिक्रमण भी किया है। जबकि कई लोग लीज की जमीन पर मकान का निर्माण करा रहे हैं। खबरों में प्रकाशित सूची के अनुसार 01 नवंबर 1939 से 19 मार्च 1969 तक कुल 29 लीजधारियों की लीज की अवधि निर्धारित थी। 28 दिसंबर 1940 से 19 दिसंबर 1970 तक 5, 1 अप्रैल 1937 से 31 मार्च 1967 तक 48, 19 अक्टूबर 58 से 18 अक्टूबर 88 तक 8 लीजधारी, वर्ष 1941 से 1971, 1944 से 1974, 1938 से 1968, 1967 से 1997, 1953 से 1983 एवं 1955 से 1985 की अवधि तक विभिन्न लीजधारियों की लीज की निर्धारित की गयी थी। बताया गया है कि इनमें अधिकांश लीजधारियों का देहांत हो चुका है, परंतु उक्त लीजन पर लीजधारियों के परिजनों का दखल है। इनमें कई राजनीतिक हस्ती व अन्य कददावर लोग शामिल हैं। खास महाल के नियम के मुताबिक लीजधारी की गयी थी, वह दुकानदार अप

योथी दानिधि

16 फरवरी-22 फरवरी 2015

हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार



उत्तर प्रदेश—उत्तराखण्ड

आजम को मुलायम सिंह यादव का भव्य जन्मदिन मनाने का तोहफा



माँ लाना जौहर अली शोध संस्थान की जमीन जौहर अली ट्रस्ट को दे दिए जाने के कारण समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और अखिलेश सरकार के कैबिनेट मंत्री आजम खान फिर विवाद में हैं। लेकिन इस विवादास्पद मसले में आजम खान के साथ-साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम छोटे पड़ रहे हैं। प्रदेश के लोकायुक्त प्रकरण पेश हुआ है और इसकी जांच दो गई हैं। जौहर अली विश्वविद्यालय

पाटा का राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव पर भी बदनामी के छीटे पड़ रहे हैं। प्रदेश के लोकायुक्त एनके महोरोत्रा के समक्ष यह प्रकरण पेश हुआ है और इसकी जांच की औपचारिकताएं भी शुरू हो गई हैं। जौहर अली विश्वविद्यालय के कुलपति और मंत्री जैसे लाभ के दो-दो पदों पर एक साथ काम करने का विवाद अभी चल ही रहा था कि यह नया विवाद सामने गया है। तीन फरवरी को सपा सुप्रीमो ने आजम खान को अपने आवास पर बुलाकर इस बारे में विस्तार से सलाह मशविरा किया और विवाद से बाहर निकलने की रणनीति पर बातचीत की। जौहर अली ट्रस्ट को जमीन दिए जाने के मामले के साथ ही इलाहाबाद में एक शक्तिक संस्था के लिए आवंटित सरकारी जमीन को धार्मिक संस्था यशू दरबार ट्रस्ट को दे दिए जाने का मामला भी गरमा गया है।

दोनों मामलों के उजागर होने के बाद समाजसेवी डॉ. नूतन ठाकुर और उनके आईपीएस पति अभिताभ ठाकुर ने इसे कानून की दहलीज तक पहुंचाने का काम किया। डॉ. नूतन ठाकुर ने प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री आजम खान द्वारा मौलाना जौहर अली शोध संस्थान रामपुर की बेशकीमती भूमि और भवन को अपनी ही निजी संस्था मौलाना जौहर अली ट्रस्ट को दिए जाने के खिलाफ लोकायुक्त जस्टिस एन के मल्होत्रा के समक्ष परिवाद दायर किया है। जौहर अली शोध संस्थान राज्य सरकार के अल्पसंख्यक विभाग के तहत है, लिहाजा उसकी जमीन सरकारी जमीन है और उसे बिना किसी नियम, शर्त और प्रक्रिया के ट्रस्ट को दे दिया जाना पूरी तरह गैर कानूनी है। लोकायुक्त की अदालत में दाखिल शिकायत में कहा गया है कि निजी संस्था या लोगों को सरकारी भूमि दिए जाने के

सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सौरभ गांगुली, सुधाष घई और कुशाभाई ठाकरे ट्रस्ट मामलों में प्रतिपादित सिद्धांतों की धज्जियां उड़ाते हुए आजम खान ने रामपुर शहर में करीब 1500 वर्गगज जमीन और उस पर 9.83 करोड़ में बने सरकारी भवन को अपनी निजी संस्था के नाम मात्र सौ रुपये की वार्षिक लीज पर तीस साल के लिए दे दिया। आजम खान का यह फैसला पद का सीधा-सीधा दुरुपयोग है। यह तथ्य भी उजागर हुआ है कि तत्कालीन प्रमुख सचिव डॉ. देवेश चतुरेंदी ने शोध संस्थान की सरकारी भूमि और भवन को विभागीय मंत्री की निजी संस्था को दिए जाने का विरोध किया था। इसका नतीजा यह निकला कि प्रमुख सचिव को ही उनके विभाग से हटा दिया गया और सरकारी मशीनरी पर दबाव डाल कर यह गैरकानूनी फैसला करा लिया गया। लोकायुक्त से इस मामले की जांच कराते हुए विवादास्पद आवंटन को निरस्त करने और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही किए जाने की मांग की गई है। विंडबना यह है कि जौहर अली ट्रस्ट को महज सौ रुपये की लीज पर 30 साल के लिए सरकारी जमीन दे दिए जाने के फैसले पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने हरी झंडी दिखाई है। कैबिनेट बाई सर्कुलेशन से यह फैसला हुआ था। मुख्यमंत्री की हरी झंडी के बाद केवल राज्य सरकार और आजम खान के ट्रस्ट के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर होना बाकी था। खुद सपाई ही कहते हैं कि 21 और 22 नवम्बर को सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव का रामपुर में भव्य जन्मदिन समारोह मनाने के एवज में आजम खान के ट्रस्ट को अली जौहर संस्थान रिटर्न गिफ्ट में दे दिया गया। आजम खान को प्रति-उपहार देने के लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिये 20 नवंबर को ही यह फैसला सुरक्षित कर दिया था। लीज की अवधि, रेट और करार के मसौदे तय होने बाकी रह गए थे। लीज रेट तय करने के लिए फाइल राजस्व विभाग के पास भेजी गई थी। लेकिन राजस्व विभाग ने इस पर कोई राय नहीं दी थी। अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग के अफसरों ने मोगाम्बो को खुश करने के लिए लीज रेट सौ रुपये सालाना तय कर दी। फिर आजम खान ने इसी लीज रेट पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की मदर भी लगवाली

उल्लेखनीय है कि आजम खान का ड्रीम प्रॉजेक्ट मौलाना जौहर अली यनिवर्सिटी हमेशा से सबालों के ध्यें में रहा है। यनिवर्सिटी

सरकारी जमीन देने पर राज्यपाल नाराज

मौलाना अली जौहर शोध संस्थान की सरकारी जमीन आजम खान की निजी संस्था को दिए जाने के प्रकरण पर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल एवं प्रदेश के

सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति राम नाईक बेहद नाराज हैं। राज्यपाल ने कहा कि वे इस गंभीर मसले पर खुद राज्य सरकार से बात करेंगे। आजम खान के मोहम्मद अली जीहर ट्रस्ट को महज सी रुपये की सालाना लीज पर जमीन देने के मसले की जानकारी मिलने के बाद राज्यपाल ने कहा कि वे खुद सरकार से जानकारी लेंगे और आवश्यक कार्रवाई करेंगे। राज्यपाल ने कहा कि इस तरह सरकारी जमीन दिए जाने पर ऑडिटर जनरल जांच करते हैं। जिस ट्रस्ट को जमीन दी गई है, वह सक्षम है या नहीं? इसकी रिपोर्ट भी ऑडिटर जनरल ही विधानसभा के सामने रखते हैं। विधानसभा की जिम्मेदारी है कि इस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई

करे. राज्यपाल बोले, मैं खुद इस मामले की जानकारी ले रहा हूँ कि किन परिस्थितियों में यह जमीन मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को दी गई. राज्य सरकार यह लीज 30 वर्षों के लिए देने जा रही है. इसे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंजूर किया है. अब केवल राज्य सरकार और आजम खान के ट्रस्ट के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर होना ही बाकी है.

बनने के बाद सरकार ने उसे अल्पसंख्यक दर्जा देने के लिए विधानसभा में विधेयक पारित करा लिया था। लेकिन तत्कालीन राज्यपाल टीवी राजेश्वर और उनके बाद आए बीएल जोशी ने उसे रोक लिया। बाद में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने भी इसे अल्पसंख्यक दर्जा दे दिया। पर राज्यपाल तैयार नहीं हुए थे। राजभवन का कहना था कि इस बिल को मंजूरी देने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी है। बाद में महज कुछ दिन के लिए प्रधारी राज्यपाल बने अजीज कुरेशी ने जौहर विश्वविद्यालय को यह दर्जा दे दिया। कुरेशी अपना एंजेंडा पूरा कर वापस चले गए। यूनिवर्सिटी के साथ दूसरा विवाद आजम खान के आजीवन कुलपति रहने को लेकर हुआ। हाईकोर्ट ने भी कुछ महीने पहले ही सरकार से यह सवाल पूछा था कि मंत्री रहते हुए आजम खान किसी यूनिवर्सिटी के चांसलर कैसे रह सकते हैं। यूनिवर्सिटी को जमीन दिए जाने, लीज रेंट माफ किए जाने और सरकारी मदद दिए जाने को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। मौलाना मुहम्मद अली जौहर शोध संस्थान के जरिये आजम खान अपने ट्रस्ट का साप्राज्य बढ़ाने में लगे हैं। इस संस्थान के मिलने से ट्रस्ट को करोड़ों की

विडंबना यह है कि जौहर अली ट्रस्ट को महज सौ रुपये की लीज पर 30 साल के लिए सरकारी जमीन दें दिए जाने के फैसले पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने हरी झंडी दिखाई है। कैबिनेट बाई सर्कुलेशन से यह फैसला हुआ था। मुख्यमंत्री की हरी झंडी के बाद केवल राज्य सरकार और आजम खान के ट्रस्ट के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर होना बाकी था। खुद सपाई ही कहते हैं कि 21 और 22 नवम्बर को सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव का रामपुर में भव्य जन्मदिन समारोह मनाने के एवज में आजम खान के ट्रस्ट को अली जौहर संस्थान रिटर्न गिप्ट में दे दिया गया।

बेशकीमती जमीन व इमारत मिल जाएगी। आजम खान इस शोध संस्थान का अपने ट्रस्ट में विलय इसलिए भी चाहते थे कि शोध संस्थान की बेशकीमती जमीन उनकी कोठी से ही सटी हुई है। दूसरी तरफ सरकार द्वारा दी गई जमीन को इलाहाबाद की धार्मिक यीशु दरबार ट्रस्ट को देने का मामला भी गरमा गया है। आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर ने इलाहाबाद के सैम हिंगिनबॉटम इंस्टिट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज को सरकार द्वारा दी गई जमीन एक धार्मिक संस्था यीशु दरबार ट्रस्ट को दिए जाने पर आपत्ति जताई है। शैक्षणिक संस्था ने कानून को ताक पर रख कर सरकारी जमीन ट्रस्ट को दे दी। अमिताभ ठाकुर ने इस

मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में अमिताभ ठाकुर ने कहा है कि 23 मई 1914 को ब्रिटिश भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तथा नॉर्थ इंडिया मिशन ऑफ अमेरिकन प्रेस्वाइटेरियन चर्च इन द यूएसए के बीच हुए समझौते के अनुसार संयुक्त प्रांत सरकार ने 53.275 एकड़ भूमि अधिग्रहित कर इविंग क्रिश्चियन कॉलेज में कृषि विभाग बनाने के लिए दिया था जो बाद में एग्रीकल्चर इंस्टिट्यूट बना। इस समझौते में स्पष्ट रूप से अंकित था कि यह भूमि बिना सरकार की अनुमति के किसी भी अन्य प्रयोग के लिए हस्तांतरित नहीं की जाएगी। इसके बावजूद हिंगनबाटम एग्रीकल्चर इंस्टिट्यूट ने एक डीड के माध्यम से 26 बीघा जमीन यीशु दरबार ट्रस्ट को दे दी। ट्रस्ट का प्रमुख उद्देश्य गॉस्पेल और धार्मिक कार्य फैलाना है। श्री ठाकुर ने इस भूमि हस्तांतरण को 23 मई 1914 के करार के विरुद्ध बताते हुए प्रधानमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री से मामले की जांच कर पूर्णतया धार्मिक कार्यों हेतु किए गए इस हस्तांतरण को निरस्त करने का अनुरोध किया है। उल्लेखनीय है कि यीशु दरबार ट्रस्ट पर धर्मांतरण की गतिविधियों में शेरीक रहने के आरोप लगाते रहे हैं। अवैध रूप से सरकार द्वारा भूमि हस्तांतरित करने तथा संस्थान के परिसर में जबरन धर्मांतरण कराने के आरोपों की सीबीआई जांच कराने की भी मांग की गई थी। इसके पहले भी कई बार यीशु दरबार में धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए छात्र समुदाय विरोध प्रदर्शन करते रहे हैं। ■

पहले से आजम की जमीनों पर नज़र रही है

आ जम खान के ट्रस्ट को सरकारी जमीने दिए जाने के मसले में अब कई और परते खुल कर सामने आ रही हैं। अपने निजी ट्रस्ट के साम्राज्यवादी विस्तार के लिए इर्द-गिर्द की जमीनों पर आजम खान की लोलुप निगाह पहले से रही है। रामपुर किले के अंदर रिथत मॉडल माटेसरी स्कूल के भवन को ही पट्टे पर ट्रस्ट के नाम कर देने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री को असा पहले पत्र लिखा था। ट्रस्ट के लिए वे शासन से दो और सरकारी इमारतें हासिल करना चाहते थे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के अध्यक्ष की हैसियत से उन्होंने सरकार से रामपुर की दो और इमारतों को ट्रस्ट को पट्टे पर देने की मांग की थी। इसके लिए भी वह मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को पत्र लिख चुके हैं। इनमें से एक रामपुर के मजार चुप शामिया मोहल्ले में स्थित ओरियंटल कॉलेज की इमारत भी है। आजम खान इस इमारत को नाजायज कब्जे का शिकार बताते-बताते खुद ही कब्जा करने की कोशिशों में लग गए। आजम खान तर्क यह देते थे कि वे यहां रामपुर के बच्चों के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंट्री एजुकेशन (सीबीएसई) से मान्यताप्राप्त स्कूल खोलना चाहते हैं।



उत्तर प्रदेश विधानसभा में चले 77वें स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस के समापन पर राज्यपाल राम नाईक ने पीठासीन अधिकारियों को कई नसीहतें दीं। उन्होंने कहा कि सदन के काम-काज में सबसे बड़ी समस्या सदस्यों का वेल में आ जाना है। अब तो सत्ताधारी पार्टी के सदस्य भी वेल में जाने लगे हैं। प्रश्नकाल और शून्य काल की हत्या नहीं होनी चाहिए। सदस्य मेहनत करके सवाल बनाते हैं। ठनके जवाब के लिए गांव से लेकर दिल्ली तक हिल जाता है। हंगामे के चलते प्रश्नकाल हो ही नहीं पाता।



दीनबंधु कवीर

Cलकड़ में हुए स्पीकरों के राष्ट्रीय सम्मेलन में सदन में बढ़ते शोर पर चिंता तो जताई गई लेकिन इस पर विचार नहीं किया गया कि सदनों में शोर क्यों बढ़ रहे हैं। सदन में बढ़ते विरोध के स्वर को सदन की मर्यादा पर कुठाराधात तो माना गया, लेकिन यह विचार में नहीं आया कि जनता की आकंक्षाओं और अपेक्षाओं पर जो कुठाराधात हो रहा है। उसके खिलाफ सदन में शोर नहीं बढ़े। सदन में जन प्रतिनिधियों से कुलीनपत्र की अपेक्षा की गई, लेकिन पीठासीन पदाधिकारियों ने सदस्यों से यह अपेक्षा नहीं की कि जनता की आशाओं-उम्मीदों को वे पूछ करें तो सदन में खुद व खुद शांति आ जाएगी।

सम्मेलन का लब्बो-लुब्बाव यही रहा कि सदन की गरिमा बनाए रखने के नाम पर विरोध के स्वर को थामने की कोशिशें हो रही हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में देशभर की विधानसभाओं के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में इसी बात की भूमिका बनाई जाती रही कि सदन के बेल में आकर जनप्रतिनिधियों के विरोध के स्वर बुलंद करने पर कैसे अंकुश लगे। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक तो इस चलन की कैसर बताते हैं इसके इलाज के लिए कारण कीविधियों की वेल करते हैं। प्रश्नकाल और शून्य काल में वाधा न हो, इसकी चिंता तो जायज है, लेकिन जनता से चुनकर आने वाले जन प्रतिनिधि सदन में अपनी आवाज नहीं बुलंद कर पाएं। इसकी पेशांदी लोकतंत्र के लिए कोई सकारात्मक चिंता नहीं है। सम्मेलन के दौरान विधानसभा में विषयक और सत्ता पक्ष की भी अधिकार सीटें खाली रहीं। बसपा और कांग्रेस के अधिकारी सदस्य नदारद रहे और भाजपा के विधायक भी पीठासीन सम्मेलन में नहीं पहुंचे।

उत्तर प्रदेश विधानसभा में चले 77वें स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस के समापन पर राज्यपाल राम नाईक ने पीठासीन अधिकारियों को कई नसीहतें दीं। उन्होंने कहा कि सदन के काम-काज में सबसे बड़ी समस्या सदस्यों का वेल में आ जाना है। अब तो सत्ताधारी पार्टी के सदस्य भी वेल में जाने लगे हैं। प्रश्नकाल और शून्य काल की हत्या नहीं होनी चाहिए। सदस्य मेहनत करके सवाल बनाते हैं। उनके जवाब के लिए गांव से लेकर दिल्ली तक हिल जाता है। हंगामे के चलते प्रश्नकाल हो ही नहीं पाता। अध्यक्ष को यह ध्यान रखना होगा कि हंगामे के चलते अध्ययनशील सासदा के बोलने का मौका न चला जाए।

हालांकि राज्यपाल ने यह जस्तर कहा कि विषयक को भी अपनी बात रखने का पूछा भौमिका मिलना चाहिए। लेकिन साथ ही यह भी जोड़ दिया कि आजकल टीवी पर सदनों की लाइव कार्यवाही दिखाई है। वच्चे सदन में झाग़ा देखकर कहते हैं कि इससे अच्छा तो हमारे स्कूल का अनुपासन है। सदन की आचरण का फर्क नई पीढ़ी पर पड़ता है। विषयक को भी ध्यान रखना चाहिए कि केवल विरोध के लिए महत्वपूर्ण विषयों को न रोकें।

लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने भी सदस्यों के बेहतर आचरण की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विरोध करने वाले विरोध के नए-नए तरीके खोज लेते हैं। वेल में आने के नियम का कड़ाई से अनुपालन होना चाहिए। सदन की कार्यवाही लाइव होने के नफा-नुकसान दोनों हैं। कुछ सासद अपने क्षेत्र में टीवी पर दिखाने के बाद अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए यह भी कहा कि देश की प्रगति में विधायी निकायों की महत्वपूर्ण भूमिका है। सदन में जितनी रखानामक चर्चा होगी कानून उतने ही बेहतर बनेंगे। उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की भी प्रशंसा की और कहा कि वे उत्तर प्रदेश को अच्छा नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं।

पीठासीन अधिकारी एक जनप्रतिनिधि भी होता है, इसलिए उनकी जिम्मेदारी दोहरी हो जाती है। अखिलेश ने यह माना कि विषय कुछ वर्षों से यह अनुभव किया जा रहा है कि पीठासीन अधिकारियों को अनेक विषय परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। उन्हें सदन के सचालन एवं उसकी गरिमा बनाए रखने के लिए कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। विधायी संस्थाएं आजादी के संघर्ष की देन हैं। आजादी के संघर्ष को आगे बढ़ाने में उत्तर प्रदेश विधान मंडल की सशक्त मंच की भूमिका का उल्लेख करते हुए अखिलेश ने कहा कि इसी मंच से राज्य के महान नेताओं ने राजनीतिक क्रांति और सामाजिक परिवर्तन की आवाज बुलन्द की है। उत्तर प्रदेश विधान मंडल को देश का सबसे बड़ा विधान मंडल बताते हुए उन्होंने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसे महान राजनेताओं ने इसी सदन से होते हुए देश के प्रधानमंत्री पद को मुशोधित किया। उत्तर प्रदेश विधान सभा में पीठासीन अधिकारी के पद की गरिमा में राजविंशी पुरुषोत्तम दास टंडन ने जिस परम्परा की नींव रखी, उसे नफीसुल हसन, आत्माराम गोविंद खेर, मदन मोहन

बर्मा, नियाज हसन सहित अन्य सभी अध्यक्षों ने दृढ़ता के साथ नियाज और आगे बढ़ाया। महान समाजवादी नेता डॉ. राम मनोहर लोहिया की समाजवादी विरासत को पुखता करते हुए मुलायम सिंह यादव के महत्वपूर्ण योगदान की भी सीएम ने चर्चा की। उल्लेखनीय है कि विधायी निकायों की पीठासीन पदाधिकारियों का सम्मेलन वर्ष 1921 से लगातार आयोजित हो रहा है। यह सम्मेलन विभिन्न राज्यों में आयोजित होते रहे हैं। उत्तर प्रदेश में यह सम्मेलन इससे पहले वर्ष 1961 तथा वर्ष 1985 में आयोजित हो चुका है।

पेपरलेस सदन पर सहमति

सदन को बोली विहीन करने की चर्चा के बाद उसे कागज विहीन करने के मसले पर भी चर्चा हुई। पेपरलेस सदन की आवश्यकता पर चर्चा के दौरान फिलहाल लेस पेपर सदन करने की सहमति बनी। नजीर के तौर पर हिमाचल प्रदेश और गोवा विधानसभा ने प्रेजेंटेशन दिया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का कहना था कि



वेल में आते ही हो जाए निलंबन

स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने बड़ी लाइव चर्ची की। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि स्पीकर की भूमिका केवल सदन की कार्यवाही तक ही सीमित न हो बल्कि वे विकास के लिए भी प्रभावी पहल करें। महाजन ने कहा कि यह नियम है कि यदि कोई सदस्य वेल में आता है तो उसकी सदस्यता उस सत्र में निश्चित समय के लिए निलंबित हो सकती है। जब यह नियम हो तो निलंबन स्वतः ही क्यों न हो जाए। इसके लिए अध्यक्ष को निर्धारित करना पड़ता है। खुद ही यह सदन उठाते हुए लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा कहा कि यह नियम है कि यदि कोई सदस्य वेल में आता है तो उसकी सदस्यता उस सत्र में निश्चित समय के लिए निलंबित हो सकती है। जब यह नियम हो तो निलंबन स्वतः ही क्यों न हो जाए। इसके लिए अध्यक्ष को निर्धारित करना पड़ता है। खुद ही यह सदन उठाते हुए लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा कहा कि यह नियम है कि यदि कोई सदस्य वेल में आता है तो उसकी सदस्यता उस सत्र में निश्चित समय के लिए निलंबित हो सकती है। जब यह नियम हो तो निलंबन स्वतः ही क्यों न हो जाए। इसके लिए अध्यक्ष को निर्धारित करना पड़ता है। खुद ही यह सदन उठाते हुए लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा कहा कि यह नियम है कि यदि कोई सदस्य वेल में आता है तो उसकी सदस्यता उस सत्र में निश्चित समय के लिए निलंबित हो सकती है। जब यह नियम हो तो निलंबन स्वतः ही क्यों न हो जाए। इसके लिए अध्यक्ष को निर्धारित करना पड़ता है। खुद ही यह सदन उठाते हुए लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा कहा कि यह नियम है कि यदि कोई सदस्य वेल में आता है तो उसकी सदस्यता उस सत्र में निश्चित समय के लिए निलंबित हो सकती है। जब यह नियम हो तो निलंबन स्वतः ही क्यों न हो जाए। इसके लिए अध्यक्ष को निर्धारित करना पड़ता है। खुद ही यह सदन उठाते हुए लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा कहा कि यह नियम है कि यदि कोई सदस्य वेल में आता है तो उसकी सदस्यता उस सत्र में निश्चित समय के लिए निलंबित हो सकती है। जब यह नियम हो तो निलंबन स्वतः ही क्यों न हो जाए। इसके लिए अध्यक्ष को निर्धारित करना पड़ता है। खुद ही यह सदन उठाते हुए लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा कहा कि यह नियम है कि यदि कोई सदस्य वेल में आता है तो उसकी सदस्यता उस सत्र में निश्चित समय के लिए निलंबित हो सकती है। जब यह नियम हो तो निलंबन स्वतः ही क्यों न हो जाए। इसके लिए अध्यक्ष को निर्धारित करना पड़ता है। खुद ही यह सदन उठाते हुए लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा कहा कि यह नियम है कि यदि कोई सदस्य वेल में आता है तो उसकी सदस्यता उस सत्र में निश्चित समय के लिए निलंबित हो सकती है। जब यह नियम हो तो निलंबन स्वतः ही क्यों न हो जाए। इसके लिए अध्यक्ष को निर्धारित करना पड़ता है। खुद ही यह सदन उठाते हुए लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा कहा कि यह नियम है कि यदि कोई सदस्य वेल में आता है तो उसकी सदस्यता उस सत्र में निश्चित समय के लिए निलंबित हो सकती है। जब यह नियम हो तो निलंबन स्वतः ही क्यों न हो जाए। इसके लिए अध्यक्ष को निर्धारित करना पड़ता है। खुद ही यह सदन उठाते हुए लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा कहा कि यह नियम है कि यदि कोई सद